कानपुर नगर निगम

नगर निगम (सदन) की दिनांक 27-04-2013 को सम्पन्न हुई बैठक का कार्य–वृत्त

स्थानः नगर निगम मुख्यालय सभागार, मोतीझील ,कानपुर

कार्यालय सचिव,
नगर निगम, कानपुर

पत्र संख्याः डी/ 92 /सचिव (न.नि.)/13–14 दिनांक : 08.05.2013

सेवा में

मा0 श्री/श्रीमती/सुश्री.....,

मा0, पार्षद वार्ड सं0...../पदेन सदस्य,/नाम निर्दिष्ट सदस्य

नगर निगम, कानपुर।

महोदय/महोदया,

नगर निगम (सदन) की दिनांक 27.04.2013 दिन शनिवार को पूर्वान्ह 11.00 बजे सम्पन्न हुई बैठक का कार्यवृत्त आपकी सेवा में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक: कार्यवृत्त पृष्ठ संख्या 1 से 40 तक।

(विजय कुमार श्रीवास्तव)
सचिव
नगर निगम,कानपुर

प्रतिलिपिः

1. नगर आयुक्त महोदय की सेवा में संज्ञानार्थ।
2. अपर नगर आयुक्त (प्रशा0)/ अपर नगर आयुक्त महोदय को सूचनार्थ।
3. अपर नगर आयुक्त (के/बी) महोदय को सूचनार्थ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/विभागाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
नगर निगम,कानपुर

दिनांक 27.04.2013 दिन शनिवार को पूर्वान्ह 11:00 बजे नगर निगम मुख्यालय मोतीझील स्थित सभागार में सम्पन्न हुई सदन की बैठक की कार्यवृत्त

उपस्थिति

श्री जगत वीर सिंह द्रोण	**महापौर/अध्यक्ष**
श्री मदन लाल	पार्षद/सदस्य
श्रीमती लाली गुप्ता	पार्षद/सदस्य
श्री ओमप्रकाश वाल्मीकि	पार्षद/सदस्य
श्रीमती रीना	पार्षद/सदस्य
श्री बीरबल	पार्षद/सदस्य
श्रीमती चित्ररेखा पाण्डेय	पार्षद/सदस्य
श्रीमती बीना	पार्षद/सदस्य
श्री महेन्द्र पाण्डेय ''पप्पू''	पार्षद/सदस्य
श्री संजीत सिंह कुशवाहा	पार्षद/सदस्य
श्री सुमित कुमार सरोज	पार्षद/सदस्य
सुश्री नमिता कनौजिया	पार्षद/सदस्य
श्रीमती विजय लक्ष्मी	पार्षद/सदस्य
श्रीमती पुष्पा देवी	पार्षद/सदस्य
श्री बाबूराम सोनकर	पार्षद/सदस्य
श्री संजय लाल बाथम	पार्षद/सदस्य
श्री योगेन्द्र कुमार	पार्षद/सदस्य
श्री सुनील कुमार कनौजिया	पार्षद/सदस्य
श्री गिरीश चन्द्र	पार्षद/सदस्य
श्रीमती शशि सुरेन्द्र जायसवाल	पार्षद/सदस्य
श्रीमती जोहरा खातून	पार्षद/सदस्य
श्री आदित्य शुक्ला	पार्षद/सदस्य
श्री प्रमोद पाण्डेय	पार्षद/सदस्य
श्रीमती उत्तम	पार्षद/सदस्य
श्री रामकुमार पाल	पार्षद/सदस्य

ह0.....महापौर

श्रीमती रश्मि शाह	पार्षद/सदस्य	श्री आलोक दुबे	पार्षद/सदस्य
श्रीमती मीनू गुप्ता	पार्षद/सदस्य	श्रीमती सोनी पाल	पार्षद/सदस्य
श्री चेतन सिंह	पार्षद/सदस्य	श्री निर्देश सिंह चौहान	पार्षद/सदस्य
श्री आबिद अली	पार्षद/सदस्य	श्रीमती मधु	पार्षद/सदस्य
श्रीमती आशा तिवारी	पार्षद/सदस्य	श्रीमती गीता जायसवाल	पार्षद/सदस्य
श्री सलीम बेग	पार्षद/सदस्य	डॉ0 आलोक शुक्ला	पार्षद/सदस्य
श्री आशुतोष त्रिपाठी	पार्षद/सदस्य	श्रीमती सन्नों कुशवाहा	पार्षद/सदस्य
श्री संजय यादव	पार्षद/सदस्य	श्रीमती सरोजनी यादव	पार्षद/सदस्य
श्री अशोक चन्द्र तिवारी	पार्षद/सदस्य	श्री विनय अग्रवाल	पार्षद/सदस्य
श्रीमती पूनम राजपूत	पार्षद/सदस्य	श्री महेन्द नाथ शुक्ला	पार्षद/सदस्य
श्री राज किशोर	पार्षद/सदस्य	श्री मो0 शमीम आजाद	पार्षद/सदस्य
श्री कौशल कुमार मिश्रा	पार्षद/सदस्य	श्रीमती आशा तिवारी	पार्षद/सदस्य
श्री विप्लव भट्टाचार्य	पार्षद/सदस्य	श्री योगेन्द्र कुमार कुशवाहा 'योगी'	पार्षद/सदस्य
श्री लक्ष्मी शंकर राजपूत	पार्षद/सदस्य	श्री आदर्श	पार्षद/सदस्य
श्री कमल शुक्ल ''बेबी''	पार्षद/सदस्य	श्री कैलाश पाण्डेय	पार्षद/सदस्य
श्री अब्दुल कलाम	पार्षद/सदस्य	श्री राकेश साहू	पार्षद/सदस्य

ह0.....महापौर

श्री नवीन पण्डित	पार्षद/सदस्य	श्रीमती राज किशोरी पाण्डेय	पार्षद/सदस्य
श्री मनीष शर्मा	पार्षद/सदस्य	श्री वीरेन्द्र कुमार शर्मा	पार्षद/सदस्य
श्रीमती नीलम चौरसिया	पार्षद/सदस्य	श्रीमती प्रवेश कुमारी	पार्षद/सदस्य
श्रीमती पूनम द्विवेदी	पार्षद/सदस्य	श्री अब्दुल जब्बार	पार्षद/सदस्य
श्री महेन्द्र प्रताप सिंह	पार्षद/सदस्य	श्रीमती जानकी वर्मा	पार्षद/सदस्य
श्री संदीप जायसवाल	पार्षद/सदस्य	मो0 आरिफ	पार्षद/सदस्य
श्री जितेन्द्र कुमार सचान	पार्षद/सदस्य	श्री अमित कुमार मेहरोत्रा 'बबलू'	पार्षद/सदस्य
श्रीमती आशा सिंह	पार्षद/सदस्य	श्रीमती रेनू सब्बरवाल	पार्षद/सदस्य
श्रीमती परमजीत कौर	पार्षद/सदस्य	श्री आमोद	पार्षद/सदस्य
श्री पंकज सचान	पार्षद/सदस्य	श्री अशोक कुमार दीक्षित	पार्षद/सदस्य
श्री सारिया	पार्षद/सदस्य	श्री हाजी सुहैल अहमद	पार्षद/सदस्य
श्रीमती जरीना खातून	पार्षद/सदस्य	श्री अभिषेक गुप्ता 'मोनू'	पार्षद/सदस्य
श्री कमलेश	पार्षद/सदस्य	श्री मो0 इरफान खान	पार्षद/सदस्य
श्रीमती रानू बाजपेई	पार्षद/सदस्य	श्री रमापति झुनझुनवाला	पार्षद/सदस्य
श्री सत्येन्द्र मिश्रा	पार्षद/सदस्य	श्री मो0 वसी	पार्षद/सदस्य
श्रीमती रीता शास्त्री	पार्षद/सदस्य		

ह0.....महापौर

पदेन सदस्य

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	सदस्य लोक सभा
श्री इरफान सोलंकी	सदस्य विधान सभा
श्री सलिल विश्नोई	सदस्य विधान सभा
श्री सत्यदेव पचौरी	सदस्य विधान सभा
श्री जागेन्द्र स्वरूप	मा0 सदस्य विधान परिषद

नाम निर्दिष्ट सदस्य

श्री अब्दुल वासिद

श्रीमती सीमा माइकल

डा0 नीतिश देव सिंह कुशवाहा

श्री शशीभाल शुक्ला

श्री मुन्सिफ अली रिजवी

श्री हर्ष विक्रम सिंह

श्री चन्द शेखर यादव

मो0 आकिल सिद्दकी

अधिकारी गण

श्री एन0 के0 सिंह चौहान	नगर आयुक्त
श्री उमाकान्त त्रिपाठी	अपर नगर आयुक्त
श्री उदय नारायण तिवारी	अपर नगर आयुक्त
श्री के0 एस0 अवस्थी	अपर नगर आयुक्त
श्री बी0 के0 द्विवेदी	अपर नगर आयुक्त
श्री डी0 के0 गुप्ता	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी
डॉ0 एल0के0तिवारी	नगर स्वास्थ्य अधिकारी
डॉ0 यू0 पी0 अग्रवाल	नगर स्वास्थ्य अधिकारी चि0
श्री आर0एम0अस्थाना	मुख्य अभियंता वि0/यॉ0
श्री जवाहर राम	महाप्रबन्धक जलकल
श्री पंकज भूषण	पर्यावरण अभियंता
श्री अम्बरीश यादव	सहायक निदेशक सी0सी0

ह0.....महापौर

राष्ट्रगीत के साथ बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

अध्यक्ष ने अवगत कराया कि माननीय केन्द्रीय मंत्री भारत सरकार ने आज शपथ ग्रहण की एवं उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा नामित 10 पार्षदों ने भी पूर्व में शपथ ग्रहण कर लिया है, जिससे सदन के सदस्यों की संख्या में 11 सदस्यों की वृद्धि हुई है। नये सदस्यों का स्वागत है। सभी सदस्यों से अपेक्षा है कि कार्यसूची में दिये गये बिन्दुओं के अनुसार अपने विचार व्यक्त करें।

श्री सुहैल अहमद ने कहा कि कार्यसूची से पहले शहर की समस्याओं पर चर्चा करा ली जाय अन्यथा आप द्वारा बैठक स्थगित कर दी जाती है, जिससे समस्याओं पर विचार–विमर्श नही हो पाता है।

श्री कमल शुक्ल ''बेबी'' ने भी एजेण्डे से पूर्व शहर की समस्याओं पर चर्चा कराये जाने की मॉग की।

श्री अशोंक चन्द्र तिवारी ने कहा कि अवगत कराया जाय कि जलकल विभाग का वित्तीय वर्ष 2013–14 का बजट कार्यसूची में समाहित है, अतः यह स्पष्ट किया जाय कि यदि जलकल विभाग नगर निगम का नगर निगम में विलय हो गया है तो इसका बजट अलग क्यों दर्शाया गया है ?

श्री सुहैल अहमद ने कहा कि समाचार पत्रों के माध्यम से संज्ञान में आया है कि सामान्य कर में 15 प्रतिशत की वृद्धि की जा रही है। कृपया यह भी स्पष्ट किया जाय कि वित्तीय वर्ष 2013–14 के मूल बजट में यह वृद्धि सम्मिलित कर ली गई है ?

मो0 शमीम आजाद ने कहा कि पूर्व में भी सामान्य कर के मद में वृद्धि के सम्बन्ध में चर्चा नही की गई। अतएव पहले इस पर विचार कर लिया जाय, तदोपरान्त कार्यसूची में अंकित बिन्दुओं पर विचार–विमर्श किया जाय।

कु0 नमिता कनौजिया ने कहा कि हम सभी निर्वाचित पार्षद है, हमें भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाय ।

अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि सर्वप्रथम कार्यसूची में अंकित बिन्दुओं पर विचार–विमर्श कर लिया जाय, उसके पश्चात् शहर की समस्याओं पर विचार–विमर्श हेतु कोई समय सीमा नही निर्धारित की जायेगी। इसी के साथ नगर आयुक्त को वित्तीय वर्ष 2013–14 के मूल बजट के विषय में सदस्यों को अवगत कराने के निर्देश दिये।

नगर आयुक्त ने बजट प्रस्तुत करने के पूर्व प्रस्तुत किया कि :–

''आज की बैठक में मा0 केन्द्रीय कोयला मंत्री जी, मा0 जगेन्द्र स्वरूप जी व मा0 श्री सलिल विश्नोई जी मा0 पदेन सदस्यगण उपस्थित है। मा0 कोयला मंत्री जी प्रथम बार सदन में उपस्थित हुये है। अति महत्वपूर्ण पदेन सदस्यों की उपस्थिति से निगम सदन और अधिक गौरान्वित हुआ है, अतएव सभी मा0 सदस्यों से अनुरोध है कि सदन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुये मा0 पदेन सदस्यों के विचारों को गम्भीरता पूर्वक ग्रहण किया जाय, सदन की गरिमा आपकी गरिमा है। मा0 पार्षदगण जनता द्वारा निर्वाचित हो कर जनता की आवाज को सदन में उठा कर विकास की नीति निर्धारित करने में सहयोग देते हैं, कोई भी परिवार, समाज, प्रदेश अथवा देश बिना प्रभावी नीति बनाये नहीं चलता है। मा0 पदेन सदस्यों द्वारा विगत सदन की दो बैठकों में दिये गये उपयोगी सुझावों को अमल करते हुये पूर्ण निष्ठा के साथ नगर में विकास सुनिश्चित करने हेतु नगर निगम तत्पर है।'' सामान्य कर की प्रस्तावित वृद्धि के विषय में अवगत कराना है कि नगर निगम स्वायत्तशासी संस्था है, सीमित संसाधन है जिसमें सामान्य कर राजस्व का मुख्य श्रोत है और इसकी वसूली से शहर का यथोचित विकास कराया जाता है। संसाधनों के अभाव में शहर की समस्याओं यथा सफाई, सड़क, सीवर, पानी एवं मार्गप्रकाश का समाधान किस प्रकार किया जा सकेगा। बिना संसाधनों के कोई देश, प्रदेश व निकाय नही चलता । संसाधनों में बढ़ोत्तरी हेतु सामान्य कर में वृद्धि प्रस्तावित की गई है। शासन एवं हमारी–आपकी भी यही इच्छा है कि क्षेत्रीय विकास में संसाधनों का उपयोग किया जाय। माननीय महापौर एवं नगर निगम के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा करते हुये बजट तैयार किया गया है, अतएव आप सभी से अनुरोध है कि इसे स्वीकृति करने का कष्ट करें।

शहर के विकास में माननीय सांसद/विधायक सभी का सहयोग प्राप्त होता है। केन्द्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा सामाजिक दायित्व योजना के अन्तर्गत निर्गत की गई धनराशि से सड़कों एवं पार्को का कार्य कराया जा रहा है। सामान्य कर में 15 प्रतिशत की वृद्धि के

ह0.....महापौर

सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा–174 में प्रत्येक दो वर्ष में सामान्य कर की दरों एवं किराये में वृद्धि हेतु नगर आयुक्त को अधिकृत किया गया है। वर्ष 2006 से लेकर अब तक दरों में वृद्धि नही की गई, इस अन्तराल में वर्ष 2002 में मासिक किराया लागू किया गया, 2006 में दरों में वृद्धि की गई, जो वर्तमान में भी लागू है। वर्ष 2013 में जो दरें लागू की गई वह जिलाधिकारी के सर्किल रेट के आधार पर निर्धारित की गई है। मा0 कार्यकारिणी समिति में नामान्तरण शुल्क, किराया इत्यादि की दरों में वृद्धि को स्वीकृत कर दिया गया है, परन्तु 15 प्रतिशत के सामान्य कर की वृद्धि पर विगत कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय न होने की दशा में प्रस्ताव शासन को संदर्भित किया गया है। शासन द्वारा जो दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसका अक्षरशः पालन किया जायेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में माननीय महापौर की अध्यक्षता में आज के आहूत सदन की बैठक में जो निर्णय लिया जायेगा, उस पर भी विचार कर लिया जायेगा। वृद्धि के सम्बन्ध में विशेष रूप से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि लखनऊ नगर निगम ने किराया/सामान्य कर की वर्ष 2002 की दरों को वर्ष 2010 में दो गुना कर दिया है, जबकि कानपुर नगर निगम द्वारा वर्तमान में मामूली वृद्धि की गई है। कानपुर नगर के समग्र विकास हेतु संसाधनों में वृद्धि आवश्यक है और संसाधनों में प्रमुख श्रोत सामान्य कर ही है। जो सम्पत्तियॉ कर की परिधि में नहीं हैं उनकों जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा नियत मानकों में शत प्रतिशत कराच्छादन हेतु निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कानपुर नगर निगम द्वारा कार्यवाही कराई जा रही है। जो सुविधायें शासन से ले रहे हैं, उनका कुछ प्रतिफल देना पड़ेगा। निर्माण कार्यो की लागत में वृद्धि हुई है। निर्वाचित लोक सेवकों की मॉग पर शासन–प्रशासन एवं नगर निगम कार्य कराता है। समुचित विकास हेतु अनुरोध है कि बजट स्वीकृत किया जाय।

श्री सुहैल अहमद जानना चाहा कि सामान्य कर में 15 प्रतिशत की वृद्धि हेतु क्या उत्तर प्रदेश शासन से कोई पत्र आया है ?

नगर आयुक्त ने पुनः स्पष्ट किया कि नगर निगम अधिनियम–1959 के तहत वृद्धि प्रस्तावित की गई है।

श्री जगेन्द्र स्वरूप जी ने कहा कि यदि नगर निगम अधिनियम में नगर आयुक्त को अधिकृत किया गया है तो सदन उसमें कटौती कर सकता है।

अध्यक्ष ने श्री जगेन्द्र स्वरूप के सुझाव को स्वीकार करते हुये सदस्यों से कहा कि कृपया केन्द्रीय मॅत्री के विचारों को शान्तिपूर्वक सुनें, जिससे मा0 मंत्री अच्छा संदेश लेकर यहॉ से जाय।

मा0 सांसद श्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने अध्यक्ष पीठ एवं बैठक में प्रतिभाग कर रहे अधिकारी, सदस्यों एवं मीडिया के लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुये कहा ''नगर निगम सदन किस तरह चलता है, इसका मुझे ज्ञान है। प्रत्येक सदस्य जितने प्रभावी ढंग से अपने क्षेत्र की समस्या को सदन में प्रस्तुत करेगा उसी के अनुसार विकास कार्य निर्भर होते है। जहॉ तक सदन में अवरोध की बात है इसे क्षेत्रीय पार्षद भी जानते है कि संसद में क्या होता रहता है। सर्वप्रथम सामान्य कर में 15 प्रतिशत की वृद्धि पर कहना चाहता हूॅ कि संसाधनों को बढ़ाने के लिये पूरे सदन को विश्वास में लेना भी जरूरी है। शहर के विकास को दृष्टिगत रखते हुये हम सभी चाहते है कि ज्यादा से ज्यादा संसाधन बढ़ाये जायें। कानपुर नगर की आबादी एवं आकार तथा इसके इतिहास भूगोल को दृष्टिगत रखते हुये शहर के विकास हेतु राज्य सरकार से अनुदान की मॉग की जाय। यदि कानपुर नगर की आबादी एवं आकार तथा भौगोलिक सीमाओं को दृष्टिगत रखते हुये विकास हेतु राज्य सरकार ने यदि अनुदान प्राप्त कराया है तो मैं तारीफ करूॅगा परन्तु अनुदान प्राप्त नही हुआ है तो मैं पहला व्यक्ति होऊॅगा जो राज्य सरकार की आलोचना करेगा।

समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने केन्द्रीय मंत्री, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के प्रति की गई टिप्पणी के प्रति आपत्ति व्यक्त करते हुये कहा कि समाचार पत्रों के माध्यम से कोयला मंत्रालय के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से आये दिन समाचार प्रकाशित हो रहे है। इसलिये राज्य सरकार के प्रति टिप्पणी किया जाना समीचीन नहीं होगा।

इसी के साथ सभागार में शोरगुल प्रारम्भ हो गया।

अध्यक्ष ने सभी सदस्यों को शांत करते हुये श्री जायसवाल से पुनः अपना वकतव्य देने हेतु कहा।

ह0.....महापौर

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने कहा कि संसाधनों में वृद्धि के लिये सभी को विश्वास में लेना आवश्यक है और साथ ही जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यो की गुणवत्ता एवं मानक का भी ध्यान रखा जाय। कुछ सड़कें जहॉ जल निगम द्वारा रोड कटिंग की जा चुकी है, लगभग कार्य भी पूरा हो चुका है और सड़कें एक दो बरसात भी खा चुकी है, परन्तु उनका निर्माण क्यों नहीं कराया गया है। अध्यक्ष महोदय से कहना चाहता हूॅ कि ऐसी सड़कें चिन्हित कर बनवाई जायें। पेयजल की समस्या के सम्बन्ध में जैसा कि सभी सदस्य हैण्डपम्प अधिष्ठापन की मॉग कर रहे है, उसके प्रति कहना चाहता हूॅ कि ग्रीष्म ऋतु चल रही है, जिसमें पानी की किल्लत बढ़ेगी। अतः खराब सबमर्सिबल पम्पों की मरम्मत कराते हुये हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कराया जाय। सांसद निधि की गाइड लाइन के अनुसार सबमर्सिबल पम्पों की मरम्मत नहीं कराई जा सकती है। इसलिये नगर निगम खराब सबमर्सिबल पम्पों की मरम्मत कराये। वाटर लेविल नीचे जा रहा है और लगे हैण्डपम्प बन्द हो गये हैं। अतः हैण्डपम्प के स्थान पर नगर निगम सबमर्सिबल पम्प लगवाये। जिलाधिकारी को पत्र भेजा जाय और जिला योजना के अन्तर्गत विशेष परिस्थितियों में ओवर हेड टैंक बनवाये जाये और सबमर्सिबल पम्प भी लगवाये जॉय। यदि सदन को विश्वास में नहीं लिया गया तो गृहकर में वृद्धि नहीं की जा सकती है। विशेष रूप से कहना चाहता हूॅ कि चर्चा के उपरान्त ही बजट स्वीकृत किया जाना चाहिये, विशेष परिस्थितियों में यदि सदन चाहता है तो पूर्व में बजट स्वीकृत किया जा सकता है, परन्तु अध्यक्ष द्वारा आश्वस्त किया जाये कि चर्चा के दौरान लिये गये निर्णय के अनुसार संशोधन किया जायेगा।

अध्यक्ष ने पुनः स्पष्ट किया कि शहर की समस्याओं के सम्बन्ध में यथा पानी, सड़क, सफाई, मार्ग प्रकाश पर विस्तृत रूप से चर्चा कराई जायेगी। इसी के साथ मा0 विधायक श्री सलिल विश्नोई से अपने विचार व्यक्त करने के लिये कहा।

श्री सलिल विश्नोई ने यथोचित सम्मान व्यक्त करते हुये कहा कि बजट एवं शहर की समस्याओं पर आहूत आज की बैठक में जो मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त करता हूॅ। सभी सदस्यों को सुझाव देना चाहता हूॅ कि जितना समय शोरगुल या हंगामें में बर्बाद करेंगे यदि उसी समय में कानपुर नगर की समस्याओं के प्रति सकारात्मक रूख से चर्चा करायेंगे ंतो क्षेत्र के प्रति लाभप्रद होगा। नगर आयुक्त के वक्तब्य के प्रति कहना चाहता हूॅ कि यदि पूर्वाधिकारियों ने 15 वर्षो से समान्य कर की दरों में वृद्धि नहीं की है, तो इसमें सदन का क्या दोष है ? संसाधन बढ़ाये जाये परन्तु कर में वृद्धि न की जाये। जो भवन कर की परिधि में नहीं है,

उन्हें कर की परिधि में लाया जाये और 15 प्रतिशत की वृद्धि के स्थान पर धीरे–धीरे शहर की जनता पर बोझ डालें। सभी क्षेत्रों का सुनियोजित विकास कराया जाये, कानपुर नगर में पेयजल व गन्दगी की मुख्य समस्या है। एक–एक हैण्डपम्प जो आप द्वारा दिया गया है उसकों न देकर उस धनराशि से प्रत्येक क्षेत्र में खराब पड़े पॉच–पॉच हैण्डपम्प रिबोर कराये जाये। माननीय केन्द्रीय मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य ''सांसद निधि से सबमर्सिबल पम्प की मरम्मत नही कराई जा सकती'' पर कहना है कि कोयला मंत्रालय से जब जगह–जगह मूत्रालय–शौचालय बनाये जा सकते है, तो सी.एस.आर. फण्ड (सामाजिक दायित्व योजना) से सबमर्सिबल पम्प की मरम्मत क्यों नही कराई जा सकती है ? शहर में पानी की किल्लत है, इसी को दृष्टिगत रखते हुये मंत्री जी ने और मैंने सबमर्सिबल पम्प पूर्व में लगवाये थे, जिससे जनता को कुछ राहत मिली थी। सबमर्सिबल पम्प मरम्मत हेतु सुझाव है कि क्षेत्रीय जल उपयोग कमेटी बनाई जाये, जिससे उन सबमर्सिबल पम्पों का रख–रखाव एवं बिजली के बिल का भुगतान किया जा सके। चूँकि गंगा का जल स्तर गर्मियों में गिर जाता है अतएव पानी की समस्या के लिये सबमर्सिबल पम्प या हैण्डपम्प के लिये विशेष रूप से विचार किया जाय। सफाई के सम्बन्ध में कहना है कि अभी कुछ दिन पूर्व एटूजेड इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा हाथ खड़ा कर देने के बाद शहर सफाई की अव्यवस्था हो गई है, जिससे चारो तरफ गन्दगी फैल रही है। नालों की सफाई होती है, परन्तु तलीझार सफाई नही हो रही है। अतः सफाई के प्रति भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाय अन्यथा गर्मियों में संक्रामक रोग फैलने की आशंका है। अतिक्रमण के विषय में कहना है कि फुटपाथ में ठेले व दुकानें लग जाने से सड़कें छोटी होती जा रही है। इसका एक कारण और भी है कि भवन में यदि एक दुकान भवन स्वामी द्वारा खोल ली जाती है तो व्यवसायिक कर नगर निगम द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। अतिक्रमण हटाने के लिये जैसा कि पूर्व में साप्ताहिक बाजारें लगा करती थी, उसी प्रकार क्षेत्रों में साप्ताहिक बाजार लगवाई जाय। फुटपाथ और डिवाइडर के स्थान पर जो वाहनों की पार्किंग हो रही है उसके लिये भूमिगत पार्किंग की व्यवस्था की जाये। पूर्व में भी मैंने अपने वक्तव्य में कहा था कि परेड रामलीला मैदान में पक्की दुकान बना कर आवंटित कर दी जाये और नीचे भूमिगत पार्किंग की व्यवस्था की जाय। फूलबाग में भी भूमिगत पार्किंग की व्यवस्था की जाये। अध्यक्ष महोदय एवं नगर आयुक्त को बधाई भी देना चाहता हूँ कि विगत दस वर्षो में जितनी सड़कें नही बनी, उतनी सड़कें इस कार्यकाल में मानक और गुणवत्ता के अनुरूप बनाई गई हैं। चेतना चौराहे वाली सड़क बहुत ही अच्छी बनायी गयी है जिसके लिये नगर आयुक्त को बधाई भी दूँगा।

ह0.....महापौर

अध्यक्ष ने सदस्यों से पूछा कि कार्यसूची के अनुसार नगर निगम व जलकल विभाग के वित्तीय वर्ष 2013–14 के मूल बजट को स्वीकृत प्रदान करने में अपना–अपना अभिमत भी दें । इसी क्रम में नगर आयुक्त को बजट की प्रतियों को वितरित करने के निर्देश दिये।

नगर आयुक्त के निर्देशानुसार उदय नारायण तिवारी अपर नगर आयुक्त द्वारा नगर निगम व जलकल विभाग के वित्तीय वर्ष 2013–14 के मूल बजट की प्रतियॉ सदस्यों को वितरित कराई गई तथा पढ़ कर सुनाया गया।

प्रस्ताव संख्या–39

कार्यकारिणी समिति विशेष बैठक जो दिनांक 21.03.13 को सम्पन्न हुई, का मूल बजट जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः

नगर निगम, कानपुर

मूल बजट 2013–14

आय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	प्रस्तावित पुनरीक्षित बजट 2012–13	प्रस्तावित धनराशि 2013–14
	Revenue Income		राजस्व आय		
1101	Tax Revenue	1101	करों से आय	8801.35	10001.35
1201	Assigned Revenues & Compensations	1201	कर्तव्यों के अधीन आय	25.00	25.00
1301	Rental Income from Properties	1301	नगरीय सम्पत्तियों के किराये से आय	86.21	104.50
1401	Fees & User Charges	1401	शुल्कों से आय	3108.40	3233.00
1501	Sale & Hire Charges	1501	बिक्री एवं भाड़े से आय	151.50	193.00
1601	Revenue Grants & Contribution	1601	राजस्व अनुदान एवं अंशदान	23155.00	24165.00
1701	Income from Investments	1701	विनियोगों से आय	100.00	101.00
1801	Income from Interest	1801	ब्याज से आय	351.00	906.00

ह0.....महापौर

1901	Other Income	1901	अन्य आय	68.00	62.00
	TOTAL-A-		**योग (अ)**	**35846.46**	**38790.85**
	Capital Income		**पूँजीगत आय**		
3111	Earmarked Funds	3111	कार्य विशेष निधियॉ		
	JNNURM Scheme		जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना	25368.79	13652.00
	Finance Commission : Thirteenth		वित्त आयोग : तेरहवॉ	3840.00	4000.00
	Special Fund: Infrastructure Fund:		अवस्थापना निधि	3055.00	3150.00
	Other Earmarked Fund		अन्य कार्य विशेष निधियॉ	1095.05	795.00
3301	Secured Loans		सुरक्षित ऋण	0.00	4.00
3311	Unsecured Loans		असुरक्षित ऋण	12312.97	11556.00
	TOTAL-B-		**योग (ब)**	**45671.81**	**33157.00**
	Reserve Fund (JNNURM)		**रिजर्व फण्ड (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)**		
3121	Reserve against Work in Progress	3121	निर्माणाधीन कार्य के सापेक्ष संचय	64262.69	76100.00
3111	JNNURM Fund (ULB Share)	3111	जे.एन.एन.यू.आर.एम.: निकाय अंश	12413.23	11450.00
	TOTAL-C-		**योग (स)**	**76675.92**	**87550.00**
	Total Revenue, Capital & Reserve Fund Income (A+B+C)		**कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड आय (अ+ब+स)**	**158194.19**	**159497.85**
4502	Opening Balance	4502	प्रारम्भिक अवशेषः–	16542.95	11598.48
	Grand Total		महायोग	**174737.14**	**171096.33**

ह0.....महापौर

व्यय

(धनराशि लाख में)

Account Code	Account Head	लेखा शीर्षक	लेखा मद	प्रस्तावित पुनरीक्षित बजट 2012–13	प्रस्तावित धनराशि 2013–14
	Revenue Expenses		राजस्व आय		
2101	Establishment Expenses	2101	अधिष्ठान व्यय	25025.00	23095.00
2201	Administrative Expenses	2201	प्रशासनिक व्यय	1647.60	1349.50
	Operation & Maintenance		अभियन्त्रण एवं अनुरक्षण	12010.40	12540.40
2401	Interest & Financial Charge	2401	ब्याज एवं वित्तीय शुल्क	175.00	508.00
	TOTAL-D-		**योग (द)**	**38858.00**	**37492.90**
	Capital expenses		पूँजीगत व्यय		
3111	Earmarked Fund	3111	कार्य विशेष निधियॉ		
	JNNURM Scheme Advance		जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना अग्रिम	38476.42	24602.00
	Finance Commission		वित्त आयोग	2200.00	2200.00
	Infrastructure Fund		अवस्थापना निधि	3850.00	3700.00
	Other Earmarked Fund		अन्य कार्य विशेष निधियॉ	1500.00	855.00
3301	Secured Loans	3301	सुरक्षित ऋण	0.00	4.00
3311	Unsecured Loans	3311	असुरक्षित ऋण	411.32	506.00
4101	Fixed Assets	4101	स्थाई सम्पत्तियॉ	1171.00	1250.00
	Loans, Advances and Deposits			-4.00	-30.00
	TOTAL-E-		**योग (य)**	**47604.74**	**33087.00**
	Reserve Fund (JNNURM)		रिजर्व फण्ड (जे.एन.एन.यू.आर.एम.)		

ह0.....महापौर

4121	Work in Progress Under JNNURM Projects	4121	जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर	64262.69	76100.00
3112	ULB Share transfer (JNNURM)	3112	निकाय अंश हस्तान्तरण	12413.23	11450.00
	TOTAL-F-		**योग (र)**	**76675.92**	**87550.00**
	Total Revenue, Capital & Reserve Fund Income (D+E+F)		**कुल राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय (द+य+र)**	**163138.66**	**158129.90**
3401	Less :- Outstanding dues/Suspenses	3401	घटायें:– देयतायें/उचन्त खाते	0.00	0.00
	Net Revenue & Capital Expenses		शुद्ध राजस्व, पूँजीगत एवं रिजर्व फण्ड व्यय	**163138.66**	**158129.90**
4502	Closing Balance	5402	अन्तिम अवशेष :–	11598.48	12966.43
	Grand Total		महायोग	**174737.14**	**171096.33**

नगर आयुक्त ने समिति के सदस्यों को आय एवं व्यय के मदों में दर्शाई गई धनराशि के सम्बन्ध में प्रकाश डालते हुये अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2013–14 के मूल बजट में नगर निगम द्वारा आय बढ़ाने के कई प्रबन्ध किये गये है तथा व्ययों में कटौती की गई है, जिसकी आप तुलना विगत वर्ष के बजट से कर सकते है।

..... वित्तीय वर्ष 2013–14 के मूल बजट में आय के पक्ष में 159497.85 लाख एवं प्रारम्भिक अवशेष रू0 11598.48 लाख के साथ कुल धनांक रू0 171096.33 लाख की धनराशि तथा व्यय के पक्ष में धनांक रू0 158129.90 लाख एवं अन्तिम अवशेष रू0 12966.43 लाख के साथ कुल रू 171096.33 लाख की धनराशि को स्वीकृति प्रदान की गई।

ह0.....महापौर

.....नगर आयुक्त ने प्रस्तुत किया कि जिन भवन स्वामियों द्वारा माह अगस्त, 2013 तक सामान्य कर की अदायगी की जायेगी, उन्हें सामान्य कर में 10% की छूट प्रदान की जायेगी। गत वर्षो में यह छूट नवम्बर माह तक दी जाती थी, जो अब अगस्त तक ही सीमित की जा रही है, क्योंकि कर दाताओं को प्रेरित कर माह जून, जुलाई, अगस्त में ही जब बरसात में काम नही हो पाते है, अधिक से अधिक संसाधनों को जोड़ा जाना चाहिये जिससे बरसात के बाद कार्य कराया जा सके और 10% की छूट निरन्तर दिये जाने की परम्परा पर नियंत्रण हो सके।

श्री सत्येन्द्र मिश्र ने कहा कि जब भवन स्वामियों की आपत्तियॉ आज भी नगर निगम द्वारा अनिस्तारित है, तो उन भवन स्वामियों की आपत्तियॉ निस्तारित करते हुये ब्याज की छूट दी जानी चाहिये।

नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि डोर टू डोर जाकर भवन स्वामियों की आपत्तियों के निस्तारण हेतु जोनल अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये जा चुके है और इसका प्रयास भी किया जा रहा है।

जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर

वार्षिक बजट वर्ष 2013–14

(रू0 लाख में)

लेखा कोड	क्रम सं0	मद विवरण	वास्तविक आय 2011–12	प्रस्तावित आय 2012–13	वास्तविक आय दिसम्बर, 2012	प्रस्तावित आय 2013–14
1100201	अ	**राजस्व आय–**				
1501011		जलकर	3552.15	4100.00	2315.92	4660.00
1100301		अतिरिक्त जलमूल्य/ न्यूनतम प्रभार	1381.72	1405.00	1077.58	1560.00
1408002		सीवर कर एवं न्यूनतम प्रभार	1394.26	1715.00	555.58	2005.00
1408001		अन्य प्राप्तियॉ	18.57	20.00	18.20	20.00
1408001		अधिभार	3.98	10.00	2.21	10.00
1401502		नियमितीकरण	8.70	20.00	9.33	15.00

ह0.....महापौर

1401402		विकास शुल्क	194.32	120.00	60.68	120.00
		योग राजस्व–	**6553.70**	**7390.00**	**4039.50**	**8390.00**
	ब	**असंचालन आय–**				
3111301		डिपाजिट कार्य (न0न0)	357.58	-	-	-
3202000		अनुदान	-	1800.00	-	1920.00
		कुल आय–	**6911.28**	**9190.00**	**4039.50**	**10310.00**
	स	**ऋण से प्राप्ति**	-	-	-	-
		कुल योग–(अ+ब+स)	**6911.28**	**9190.00**	**4039.50**	**10310.00**

जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर

वार्षिक बजट वर्ष 2013–14

(रू0 लाख में)

लेखा कोड	क्रम सं0	मद विवरण	वास्तविक व्यय 2011–12	प्रस्तावित व्यय 2012–13	वास्तविक व्यय दिसम्बर, 2012	प्रस्तावित व्यय 2013–14
	अ	**संचालन व्यय–**				
2101001	1	अधिष्ठान व्यय	4541.78	5400.00	3692.50	6320.00
2302001	2	विद्युत एवं ऊर्जा	272.39	1800.00	30.00	1920.00
2303004	3	पूर्तियॉ	321.75	530.00	288.85	530.00
2306007	4	अन्य व्यय	29.27	50.00	18.85	53.00
2305006	5	रख–रखाव व्यय	559.18	790.00	341.78	790.00
2308008	6	ड्रेजिंग कार्य	11.05	40.00	11.08	20.00
2208003	7	जनरल टैक्स	293.02	-	214.89	-
		योग संचालन व्यय–	**6028.44**	**8610.00**	**4597.95**	**9633.00**

ह0.....महापौर

	ब	असंचालन व्यय–				
4106015	1	जल मापक यंत्रों का क्रय	-	2.00	-	2.00
4104003	2	मशीनों तथा यंत्रों का क्रय	-	32.00	10.48	32.00
4107006						
4106002	3	फर्नीचर तथा कम्प्यूटर क्रय	2.90	5.50	1.48	5.50
4105003						
4105011	4	वाहन, ट्रैक्टर, टैंकर क्रय	-	10.00	-	10.00
4105007						
4101001	5	भवन निर्माण एवं भूमि	-	15.00	1.74	15.00
4108001	6	आकस्मिक पूँजीगत व्यय	0.11	25.00	-	25.00
4103202						
4103102	7	नई नलिकायें बिछाना (जल/सीवर)	-	20.00	-	20.00
4103201	8	ट्यूबवेल/पम्प हाउस/पम्प	2.75	20.00	1.00	20.00
4104003	9	नये पम्पिंग/मोटर पम्प सेट का क्रय	10.31	20.00	5.27	20.00
4703001	10	ऋण एवं ब्याज का भुगतान	-	5.50	-	5.50
	11	डिपाजिट कार्य का भुगतान	252.48	-	89.02	-
		योग असंचालन व्यय–	**268.55**	**155.00**	**108.99**	**155.00**
		कुल योग–(अ+ब) व्यय	**6296.99**	**8765.00**	**4706.94**	**9788.00**
		कुल योग आय	**6911.28**	**9190.00**	**4039.50**	**10310.00**
		अवशेष	**614.29**	**425.00**	**-667.44**	**522.00**

..... मा0 सदन के समस्त सदस्यों द्वारा ध्वनिमत से तथा मेज थपथपा कर बजट का पारण किया गया और वृद्धि के बिन्दु पर आगे चर्चा, किये जाने का अनुरोध किया गया जिस पर अध्यक्ष ने सहिमति प्रदान की ।

ह0.....महापौर

<u>प्रस्ताव संख्या–40</u>

प्रेषक,

संख्याः 4219(1)/नौ–4–12–43ज/2012

श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–4

लखनऊः दिनांकः 11 फरवरी, 2013

विषयः– नगर विकास विभाग के नियंत्रणाधीन स्थानी नागर निकायों/जल निगम/ जल संस्थानों में की जा रही नियुक्तियों पर शाासन की पूर्वानुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

महोदय उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 4219–नौ–4–12–43ज/2012 दिनांक 31.10.2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा यह निर्देश दिये गये है कि नगर विकास विभाग के नियंत्रणाधीन स्थानी नागर निकायों/जल निगम/ जल संस्थनों में की जाने वाली समस्त नियुक्तियों

ह0.....महापौर

नियुक्तियों हेतु शासन की पूर्वानुमति आवश्यक होगी। यदि किसी निकाय/संस्था में कार्यहित में नियुक्तियां किया जाना अपरिहार्य हो, तो इस हेतु पूर्ण औचित्य के साथ निकाय/संस्था की आर्थिक स्थिति के विवरण सहित प्रस्ताव शासन की पूर्वानुमति हेतु प्रेषित किया जाये व शासन की अनुमति प्राप्त होने के बाद ही नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही की जाये। परन्तु शासन के संज्ञान में आया है कि उक्त शासनादेश का अनुपालन कतिपय स्थानीय निकायों द्वारा नही किया जा रहा है।

अतएव इस प्रकरण में शासन के उक्त आदेश दिनांक 31.10.2012 के क्रम में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि स्थानीय नागर निकायों/ जल संस्थानों तथा जल निगम में की जाने वाली समस्त नियुक्तियों हेतु शासन की पूर्वानुमति के बाद ही नियुक्ति संम्बन्धी कार्यवाही की जाये। कृपया उपरोक्त निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,
ह0.....
(श्री प्रकाश सिंह)
विशेष सचिव

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
4. समस्त अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नागर निकाय, उ0प्र0।
5. कम्प्यूटर सेल।
6. गार्ड फाईल।

भवदीय,
ह0.....
(आर पी सिंह)

ह0.....महापौर

श्री राजेन्द्र प्रताप कटियार ने कहा कि नगर निगम में संसाधन बढ़ाने एवं बचत करने को बताया जाता है, जबकि आउटसोर्सिंग के माध्यम से 09 कमप्यूटर आपरेटर रखें गये है, जबकि नगर निगम में पूर्व से कम्प्यूटर आपरेटर कार्यरत है। जब पूर्व से कम्प्यूटर आपरेटर नगर निगम में उपलब्ध है तो इनकों आउटसोर्सिंग के माध्यम से रख कर भुगतान क्यों किया जा रहा है ? कैटिल कैचिंग में भी नगर निगम कर्मचारी है फिर भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से कैटिल–कैचिंग दस्ते में नियुक्ति की गई है, इसकी भी जॉच कराई जाये।

श्री अशोक तिवारी ने कहा कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से 40000 रू0 प्रतिमाह देकर कम्प्यूटर आपरेटर का कार्य कराया जा रहा है, तो नगर निगम द्वारा बचत कहॉ की जा रही है।

अनिवार्य रिफार्म के क्रियान्वयन हेतु नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा नई नियुक्तियॉ प्रतिबन्धित है परन्तु जे.एन.एन.यू.आर. एम. योजना के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्तियॉ की गई है और उसी फण्ड से इनके वेतन का भुगतान भी किया जा रहा है।

..... तदनुक्रम में प्रस्ताव पढ़ा गया।

प्रस्ताव संख्या– 41

संख्या–13(1)2013/का–1–2013

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ह0.....महापौर

(3) समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 15 जनवरी, 2013

विषयः– अधिकारियों के कर्तव्यों एवं दायित्वों सम्बन्धी मामलों में बिनाा किसी राजनीतिक दबाव के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हुये Rule of Law के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कतिपय अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वोंके सम्बन्ध में स्वतंत्र रूप से निर्णय लिये बिना राजनीतिक दबाव में आकर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाती हैं। सिविल मिस0 रिट पिटीशन सं0–30214/2012–शिवराज सिंह बनाम् स्टेट आफ यू0पी0 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 15.06.2012 को आदेश पारित करते हुये निम्नलिखित संवीक्षायें की गयी हैंः–

We are painful to record our displeasure and the manner in which an Administrative Officer has surrendered to a person having some political patronage or clout. In this democratic country governed by Rule of Law having a written Constitution, the Executive is not supposed to work with surrender, full or partial, to the political persons. A confidence has been reposed in the Executive that they shall act strictly in accordance with law that shall prevail and maintain Rule of Law in the country and no person howsoever high or enjoying political partronage or otherwise, would be able to influence such Executive.

The total surrender on the part of the Sub Divisional Magistrate in the present case is really disturbing and deserves to be condemned in strongest words. Time and again, the Courts have reminded the Executive of their obligations and pious duty to people of this country. Being holder of civil posts they are custodians of public faith and trust. The people of this country believe that a strong permanent Executive will not allow any one to deviate rule of law. The vested interest attractive posting and other financial allurement shall not move them.Unfortunately

some of the Executives are trying to identify themselves with political people enjoying power and that is why the rule of law is becoming casualty.

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 न्यायालय द्वारा की गयी संवीक्षाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0.....
(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या– 13(1)2013(1)/का–1–2013,तद्दिनांक
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय , उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद,उत्तर प्रदेश।
3. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद,
5. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
6. मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्य मंत्री जी।
7. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. नियुक्ति अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन को कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने के प्रयोजनार्थ प्रेषित।
9. महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

ह0.....
(एच0एल0गुप्ता)
विशेष सचिव

..... पढ़ा गया।

ह0.....महापौर

जलकल विभाग, नगर निगम,कानपुर।

प्रस्ताव संख्या–42

कार्यकारिणी समिति बैठक जो दिनांक 21.03.13 को सम्पन्न हुई, के प्रस्ताव सं0 120 जो सदन को अग्रसारित है, पर विचार करनाः

प्रस्ताव

कार्यालय पत्र संख्या का0ज0स0/2238/एस0एम0–457/2012–13 दिनांक 30 जनवरी, 2013 द्वारा ग्रीष्मऋतु से पूर्व पेयजल समस्या ग्रस्त क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर मा0 पार्षदगणों के अनुरोध पर प्रति वार्ड एक –एक नग इण्डिया मार्क–।। हैण्ड पम्प अधिष्ठापन हेतु रू0 38.92 लाख व्यय की स्वीकृति मा0 कार्यकारिणी समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रेषित है।

क0सं0	जोन	हैण्डपम्प संख्या	धनराशि (लाख में)
1	जोन–1	18	6.37
2	जोन–2	18	6.37
3	जोन–3	18	6.37
4	जोन–4	18	6.37
5	जोन–5	19	6.72
6	जोन–6	19	6.72
योग–		**110**	**38.92**

मो0 वसी, मो0 इरफान, श्री सलीम बेग तथां श्रीमती गीता देवी ने आगामी ग्रीष्म ऋतु एवं पानी की समस्या को दृष्टिगत रखते हुये सभी वार्डो में 05–05 हैण्डपम्प लगवाये जाने की मॉग की।

ह0.....महापौर

नगर आयुक्त ने सदस्यों को पुनः अवगत कराया कि भूगर्भ जल दूषित हो जाने के कारण उत्तर प्रदेश शासन द्वारा हैण्डपम्प अधिष्ठापन सीमित कर दिया गया है, परन्तु वर्तमान में उपरोक्तानुसार हैण्डपम्प अधिष्ठापन के पश्चात् एक–एक हैण्डपम्प अधिष्ठापन के लिये पूर्व में ही स्वीकृत प्रदान की जा चुकी है।

मो0 इरफान ने कहा कि मा0 विधायकगण अपनी–अपनी निधि से हैण्डपम्प लगवा रहे है, क्या उन्हें भूगर्भ दूषित होने का संज्ञान नही है।

साथ ही यह भी कहा कि वार्ड–108 बेगमपुरवा में चाचा नेहरू स्कूल के पास खराब हैण्डपम्प तत्काल ठीक कराया जाय, जिससे बच्चों की पेयजल की समस्या का समाधान हो सके साथ ही वार्ड–40 के खराब हैण्डपम्प भी ठीक कराये जाये अथवा नये लगाये जाय। जोन–5 गोविन्द नगर आर्य समाज मन्दिर के पास 13 नं0 ब्लाक में पाइप लाइन टूटी है, जिससे पानी बराबर बहता रहता है। जिस पर नगर आयुक्त ने महाप्रबन्धक, जलकल को निर्देशित किया कि बताये गये स्थलों के खराब हैण्डपम्प तत्काल ठीक कराये जाये साथ ही टूटी पाइप लाइन के रिसाव को भी रोका जाय।

समिति के सदस्यों ने 05–05 हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्ताव भेजने के लिये कहा।

नगर आयुक्त ने पुनः अवगत कराया कि उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार यदि माननीय सांसद व विधायक अपनी निधि से हैण्डपम्प लगवाना चाहते है तो नगर निगम को लगवाने में कोई आपत्ति नही है साथ ही अवगत कराया कि 3000 हैण्डपम्प रिबोर हेतु चिन्हांकन कर लिये गये हैं। ग्रीष्म ऋतु में हैण्डपम्पों की मरम्मत हेतु कम से कम 55 प्लम्बर चिन्हित कर दो वार्डो पर एक प्लम्बर रखा जायेगा। हैण्डपम्प की छोटी–छोटी मरम्मत हेतु स्थानीय स्तर पर जन सहयोग के आधार पर कार्यवाही की जाये परन्तु इससे अधिक लागत के मरम्मत के कार्य जलकल द्वारा किये जाय।

..... समस्त अभियंत्रण खण्डो में कुल 110 हैण्डपम्प अधिष्ठापन हेतु रू0 38.92 लाख की प्रस्तावित धनराशि को स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष ने कहा कि नगर निगम द्वारा प्रस्ताव हस्तगत किया गया है, इस पर भी विचार कर लिया जाये। तदोपरान्त शहर की समस्याओं के प्रति मैं वचनबद्ध हूँ, जिस पर विस्तार से चर्चा भोजनावकाश के उपरान्त कराई जायेगी ।

ह0.....महापौर

<u>टेबुल प्रस्ताव संख्या–43</u>

नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 115(24) निम्नवत् है :–

अभिनन्दन प्रदान करना तथा स्वागत करना :

धारा–115– निगम के स्व–विवेकानुसार कर्तव्यों– के अन्तर्गत उक्त अभिनन्दन के सम्बन्ध में प्रस्ताव है कि नगर निगम में आदर्श वार्ड के पार्षद, उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को मा0 महापौर द्वारा सम्मानित कर उत्साहवर्धन किया जाय।

साथ ही :

नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत विशिष्ट क्षेत्रों में यथा– साहित्यिक, कला–कौशल, चिकित्सकीय, वैज्ञानिक, खेलकूद, पर्यावरण, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित लब्ध–प्रतिष्ठ नागरिक को मा0 महापौर द्वारा सम्मानित किया जाय।

ऐसे नागरिक का चयन प्राप्त अनुशंसाओं पर नगर आयुक्त व मा0 महापौर द्वारा किया जायेगा।

प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

..... स्वीकृति प्रदान की गई।

भोजनावकाश के लिये बैठक की कार्यवाही एक घंटे के लिये स्थगित हुई।

.....

स्थगन अवधि पश्चात् अपरान्ह 02:00 बैठक की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई ।

अध्यक्ष ने श्री सत्यदेव पचौरी को अपने विचार व्यक्त करने के लिये कहा।

ह0.....महापौर

श्री सत्यदेव पचौरी ने नेता सदन एवं सभागार में उपस्थित सदस्यों, अधिकारियों एवं पत्रकार बन्धुओं के प्रति यथोचित सम्मान व्यक्त करते हुये कहा कि आज सकारात्मक चर्चा हुई है। नगर निगम लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। समाज की कल्याणकारी योजनाओं के प्रति अधिकार व कर्तव्य की जानकारी सभी को होनी चाहिये। यद्यपि पार्षदगण जन समस्याओं के प्रति जागरूक हैं, इसके लिये बधाई के पात्र हैं। वर्ष 1991 में विधायक निर्वाचित होने से विधान सभा से जुड़ा रहा और शहर की समस्याओं से भली–भॉति परिचित हूॅ। सदस्यों को बताना चाहता हूॅ कि नगर निगम निर्वाचन में महापौर के पद के निर्वाचन हेतु मा0 महापौर जी इच्छुक नही थे, परन्तु मैंने आग्रह किया और कहा कि आपके नेतृत्व में कानपुर का समग्र विकास एवं समाज का कल्याण होगा। अतएव आप चुनाव लड़े, निर्वाचित होने पर मेरा विश्वास चरितार्थ हुआ। एक वर्ष में ही चारों तरफ मानक एवं गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण हुआ। मैंने विधान सभा में पानी की समस्या के समाधान हेतु मॉग की, जिस पर राज्य सरकार ने एक हजार हैण्डपम्प अधिष्ठापित करने एवं दो हजार हैण्डपम्प रिबोर करने को आश्वस्त किया है। पार्षदों की संस्तुति पर मैं 100 हैण्डपम्प लगवाऊॅगा। कानपुर के विकास के प्रति मेरी प्रतिबद्धता है। हम सभी विकास की गाड़ी के दो पहिये हैं, एक साथ बैठकर विकास के प्रति चिन्तन करते हुये इसके प्रति ललक दिखाएं। नगर आयुक्त ने रू0 25 लाख की धनराशि से वार्डवार विकास का जो प्रयास किया है, उसके लिये धन्यवाद्। कानपुर का कुछ क्षेत्र प्राइवेट सोसाइटी द्वारा बसाया गया है। लेबर कालोनियों वाले क्षेत्र से यद्यपि टैक्स नही मिलता है तथापि के.डी.ए. व नगर निगम सामन्जस्य स्थापित कर सीवर एवं पानी की समस्या का समाधान करते हुये क्षेत्रवार विकास कराया जाये। जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जाये। नगर निगम द्वारा प्रकाश बिन्दु लगवाये जाते है, जो चोरी हो रहे है। अतएव चोरी रोकने का प्रयास किया जाये, साथ ही परीक्षण किया जाये कि विभाग के ही कर्मचारी की साजिश तो नही है। पार्षद द्वारा प्रस्तुत विचारों पर कार्यवाही कराई जाये और लिये गये निर्णयों की समीक्षा अगली बैठक में की जाये। पार्षदों से भी कहना चाहता हूॅ कि एक–एक कर विचार व्यक्त करें ताकि क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। दक्षिण क्षेत्र गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुआ हूॅ, जहॉ सीवर व पानी की लाइन नही है। कई स्थानों में विधायक निधि से सीवर व पानी की लाइनें डलवाई है। जलकल विभाग यदि क्षेत्रवार कैम्प लगा कर बिलों का संशोधन कर दे तो करोड़ों रूपये जलकर के रूप में प्राप्त हो सकते है।

श्री अशोक चन्द्र तिवारी ने कहा कि समाचार पत्रों के माध्यम से संज्ञान में आ रहा है कि सामान्य कर में 15 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित है। इस पर कहना है कि संसाधन बढ़ाये जाय परन्तु जनता पर बोझ डालकर नही। नगर आयुक्त महोदय आपके पदभार ग्रहण करने के पश्चात् हैलट की सामने पॉच दुकानों का अतिक्रमण हटवाना, नो टैम्पों जोन विकसित करना, सराहनीय रहा है और उसके लिये आप बधाई के पात्र है, परन्तु आज स्थिति बिल्कुल विपरीत है। शहर के अन्दर सुअर, आवारा साड़ व बन्दरों का आतंक और अतिक्रमण की समस्या चारों तरफ है। इन पर भी प्रभावी

कार्यवाही कराई जाय। सामान्य कर में 15 प्रतिशत की वृद्धि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन को पत्र भेजा गया है, अभी वृद्धि लागू नही की गई है। अतः वृद्धि कम की जाय। कर्मचारियों की शिकायत करना चाहता हूॅ कि भवन स्वामी गृहकर/सामान्य कर क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक के माध्यम से जमा तो कर देता है, परन्तु कम्प्यूटर में पोस्टिंग न होने के कारण उसे इधर–उधर भटकना पड़ता है। इसका मैं स्वयं भुक्तभोगी हूॅ। कृपया इसपर व्यवस्था निर्धारित की जाय। जोनल कार्यालय खुलने का लाभ जनता को नहीं मिल रहा हैं। प्रत्येक जोन में शिकायत कक्ष खोले जॉय जिसमें सामयिक समाधान हो सके।

श्री सुहैल अहमद ने कहा कि कार्यसूची पुस्तिका के पृष्ठ 18 पर हैण्डपम्प मरम्मत हेतु कम से कम 55 प्लम्बर चिन्हित कर दो वार्डो पर एक प्लम्बर रखे जाने का आश्वासन नगर आयुक्त महोदय द्वारा दिया गया है तथा क्षेत्रीय पार्षद के माध्यम से हैण्डपम्प मरम्मत हेतु रू0 500 की धनराशि भी निर्धारित की गई है, जिसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। मंहगाई चरम सीमा पर है अतएव सामान्य कर की 15 प्रतिशत की वृद्धि रोकी जाय। जो भवन कर की परिधि में नहीं है, उन पर टैक्स लगाया जाय। बी0पी0 श्रीवास्तव मार्केट परेड, जिस पर नगर निगम का स्वामित्व है, का अतिक्रमण हटवाया जाय तथा अतिक्रमण की साजिश में शामिल कर्मचारियों पर कार्यवाही की जाय। बिल्डर्स द्वारा प्लाटिंग कर बिक्री की गई भवन/सम्पत्ति पर यदि टैक्स नगर निगम द्वारा लगा दिया जाय तो करोड़ो की आय होगी।

श्री आशुतोष त्रिपाठी ने कहा कि उनके वार्ड में नाले के नीचे पाइप लाइन डाल दी गई है, जिसकी जॉच कराई जाय। नगर आयुक्त महोदय द्वारा आदेश निर्गत किया गया है कि पुराने स्वीकृत कार्य कराने के पश्चात् ही नये कार्यो के आगणन प्रस्तुत किये जाय। इससे तो विकास में गतिरोध उत्पन्न होगा। मेरे वार्ड में सब्जी मण्डी के अतिक्रमण से नागरिकों को असुविधा हो रही है । अतः इसे बजरिया थाने के सामने पड़ी भूमि पर विस्थापित किया जाय। गोपाल टाकीज के पास 15–20 दुकानदारों का कर निर्धारण रजिस्ट्री की तारीख से किया जाय।

श्री विनय अग्रवाल ने कहा कि वार्डो की सफाई हेतु कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाय तथा एटूजेंड से कूड़े का कलेक्शन कराया जाय।

श्री सत्येन्द्र मिश्र ने कहा कि नगर आयुक्त महोदय आपका ध्यान भौगोलिक सूचना पद्धति (जी0आई0एस0) की ओर आकर्षित करना चाहता हूॅ। मेरे द्वारा दिनांक–16.04.2013 को जनसूचना अधिकार 2005 के तहत 07 बिन्दुओं पर सूचना मॉगी गई थी, उसका उत्तर स्पष्ट रूप से नही प्राप्त हुआ है, जिस पर निम्नवत् कहना है कि :–

ह0.....महापौर

1. वित्तीय वर्ष 20012–13 में सामान्य कर के मद में लगभग रू0 92 करोड़ की मॉग के सापेक्ष कितनी धनराशि वसूली गई ?
2. सरकारी, अर्द्ध सरकारी, खुली रिक्त पड़ी भूमि, यथा खेलकूद के मैदान, तालाब, झील व उद्यान में करारोपण के क्या नियम है ?
3. व्यवसायिक सम्पत्तियों एवं भवनों की रिक्त भूमि तथा निर्माणाधीन भूमि पर करारोपण के क्या नियम है ?
4. वित्तीय वर्ष 2008–09 में भौगोलिक सूचना पद्धति (जी0आई0एस0) सर्वे द्वारा भवनों का निर्धारित वार्षिक मूल्यांकन तथा प्रापर्टी आई.डी. जो जनरेट की गई है, उसके आधार पर व्यवसायिक/आवासीय भवनों पर निर्धारित कर के सम्बन्ध में भवन स्वामियों से प्राप्त अनापत्तियों का शत प्रतिशत क्या निस्तारण करा दिया गया है ? यदि नही तो क्यों ?
5. वित्तीय वर्ष 2013–14 में सामान्य कर में 15 प्रतिशत की वृद्धि का नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव क्या वैधानिक है ? क्योंकि भवन स्वामियों की आपत्तियों का निस्तारण अभी भी अवशेष है।
6. समाचार पत्रों में भौगोलिक सूचना पद्धति (जी0आई0एस0) सर्वे का पुनः प्रकाशन किया गया है। जबकि पूर्व के जी0आई0एस0 सर्वे की अनेक आपत्तियॉ अभी भी नगर निगम को निरन्तर प्राप्त कराई जा रही है। किस प्राविधान के तहत विज्ञापन जारी किया गया है ?
7. वित्तीय वर्ष 2012–13 में जलकल विभाग द्वारा जलकल की कितनी वसूली की गई ? पेयजल समस्या समाधान हेतु कानपुर नगर के नागरिकों के प्रति क्या–क्या कदम उठाये गये है ?

उपरोक्त बिन्दुओं पर मॉगी गई सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि नगर निगम द्वारा निर्धारित वसूली लक्ष्य 92 करोड़ के सापेक्ष रू0 89.32 करोड़ प्राप्त हुये है। इस पर स्पष्ट किया जाय कि क्या इस धनराशि में यूजर चार्ज भी सम्मिलित है, यदि हॉ तो सूचना भ्रामक है। नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 174(क) एवं 177 में टैक्स सृजन के विषय में बताया गया है कि खुली भूमि एवं पार्को पर किसी भी प्रकार का टैक्स सृजन नही किया जायेगा। जबकि नगर निगम के केवल 675 पार्क है जिसमें के0डी0ए0 व आवास–विकास की गणना सम्मिलित नही है। वार्ड–89 में कौशलपुरी स्थित हनुमान पार्क की एक प्रापर्टी आई.डी. में रू0 75 करोड़ का वार्षिक मूल्यांकन करते हुये रू0 116000/– वार्षिक सामान्य कर आच्छादित किया गया है जबकि इसी पार्क की दूसरी प्रापर्टी आई.डी. पर रू0 115000/– प्रतिवर्ष का गृहकर निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार

ह0.....महापौर

42 पार्क ऐसे है, जिनमें दो प्रापर्टी आई.डी. निर्धारित की गई है। 181 विकसित पार्क तथा 225 अविकसित पार्क है तथा 269 खुली भूमि में है। दर्शनपुरवा स्थित सेन्टर पार्क को श्रमिक कालोनी वासियों ने उद्यान के रूप में विकसित किया है, उस पर भी रू0 638000/– वार्षिक मूल्यांकन करते हुये कर आच्छादित किया गया है जबकि धारा–177 में खेल के मैदान, खुली भूमि एवं पार्क इत्यादि में टैक्स निर्धारित नही किया जाना चाहिये। इसप्रकार गलत सूचना दी गई है। कर निर्धारण की दर्शायी गयी 374 अवशेष आपत्तियों की सूचना भी गलत है। उदाहरण देना चाहता हूॅ कि भवन संख्या– 274/216 पर जी0आई0एस0 सर्वे के आधार पर रू0 333000/– टैक्स तय किया गया, जिसे नगर निगम की टीम द्वारा रू0 144000/– किया गया, जो दिनांक–31.10.2010 से अपर नगर आयुक्त ''द्वितीय'' के स्तर पर अनिस्तारित है, इसमें ब्याज भी दर्शाया जा रहा है। इसलिये माननीय महापौर जी आपसे अनुरोध है कि जी0आई0एस0 सर्वे जिसके मातहत कराया गया है, उसे दोषी मानते हुये कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

जलकल विभाग को जलकर भुगतान करने के बाद भी पानी उपलब्ध नही कराया जा रहा है। भूगर्भ जल प्रदूषित न हो इसके लिये नये हैण्डपम्प, सबमर्सिबलपम्प का अधिष्ठापन रोका जा रहा है, तो बताया जाय कि वाटर लाइन का पानी क्या अधिकारियों द्वारा पिया जायेगा। उपरोक्त बिन्दुओं पर कहना है कि ''सुविधा दीजिए, टैक्स लीजिए'' जैसा कि आपके कथनानुसार मा0 विधायक श्री विश्नोई जी ने अभी–अभी कहा है कि जब 15 वर्षो से टैक्स में वृद्धि नही की गई, तो इसमें सदन का क्या दोष, बिल्कुल सत्य है। सुझाव देना चाहता हूॅ कि नगर निगम सीवेज फार्म की भूमि के पट्टा धारकों के लीज मूल्यांकन में वृद्धि की जानी चाहिए, इस धनराशि से 10 प्रतिशत की वृद्धि के हिसाब से नगर निगम को राजस्व प्राप्त होगा। 144 पेट्रोल पम्पों पर कर निर्धारण हेतु वर्ष 2011 में उ0प्र0 शासन को पत्र भेजा गया था, जिस पर निर्णय नही प्राप्त हुआ है, उस पर भी निर्णय लिया जाना चाहिए। पार्को की हरियाली हेतु जलकल विभाग द्वारा जलापूर्ति सुनिश्चित कराई जाय।

श्री कमल शुक्ल ''बेबी'' ने कहा कि आय बढ़ाने की चर्चा चल रही है उस पर भी एक राज का पर्दाफाश करना चाहता हूॅ कि सेट टॉप बॉक्स की लाइन डाली जा रही है तो सम्बन्धित एजेन्सियों पर कार्यवाही क्यों नही की जा रही है ? यदि इन एजेन्सियों पर कार्यवाही कराई जाय तो करोड़ों की आय होगी। सामान्य कर में 15 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव, जो शासन को भेजा गया उसे निरस्त किया जाय । नगर आयुक्त द्वारा रू0 05 करोड़ की राजस्व वसूली पर आदर्श वार्ड चयनित कर विशेष रूप से विकास कार्य कराये जाने को आश्वस्त किया गया है, इस आधार पर मेरे वार्ड का विकास किया जाना चाहिये, परन्तु स्वरूप नगर राजीव पेट्रोल पम्प को जाने वाली सड़क, जो लगभग एक कि0मी0 है, जनता के धरना प्रदर्शन के बावजूद नही बनाई गई। इसके सम्बन्ध में जल निगम के अधिकारियों का जवाब तलब किया जाय। वर्ष 1989 में राजस्व वसूली का लक्ष्य रू0 32

करोड़ निर्धारित किया गया था, जो आज बढ़ रू0 100 करोड़ हो गया है। क्षेत्र के राजस्व निरीक्षक, जो एक ही वार्ड में पॉच साल से ज्यादा से कार्यरत है, उनको हटाया जाय। प्रशासक भवन के सामने नो टैम्पों जोन में जिस प्रकार हरियाली डिवाइडर बनाया गया है, उसी के अनुरूप अन्य मुख्य सड़कों में डिवाइडर बनवाये जाय। सामाजिक दायित्व योजना (सी0एस0आर0) फण्ड से दो–दो हैण्डपम्प सभी वार्डो में अधिष्ठापित कराने हेतु केन्द्रीय कोयला मंत्री से अनुरोध करूॅगा।

अध्यक्ष ने कहा कि दिये गये सुझाव पर कार्यवाही कराई जायेगी।

श्री राजेश सिंह ''पप्पी'' ने कहा कि एटूजेड द्वारा कूड़ा उठान बन्द कर देने के कारण शहर में गन्दगी फैल रही है। वर्डो में बड़े–बड़े डस्टबीन रखवाये जाय, खुले मेनहोलों में ढक्कन लगवाये जाय।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि जल निगम द्वारा पूरे शहर की सड़कों को खोद कर नर्क बना दिया है, सड़कें नही बनाई जा रही है, जिससे नागरिक गिर कर चोंट खा रहे है। जगह–जगह पानी व सीवर की लाइनें तोड़ दी गई है, जिससे आये दिन नई–नई समस्यायें खड़ी हो रही है और सड़कें धंस रही है। नगर आयुक्त महोदय जिस प्रकार आप द्वारा जल निगम अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी ए0आई0आर0 दर्ज कराई गई है, उसी प्रकार अन्य विभागों पर भी कार्यवाही कराई जाये।

मो0 शमीम आजाद ने कहा कि हम सभी की मंशा है कि सामान्य कर की 15 प्रतिशत की वृद्धि को कम किया जाय। नगर निगम द्वारा कार्य कराया जा रहा है इसके लिये आप बधाई के पात्र है, परन्तु पानी की समस्या के लिये जलकल विभाग के अधिकारी, कर्मचारी बराबर के जिम्मेदार है। जगह–जगह बन्द पड़े हैण्डपम्पों में यदि 10 फिट पाइप डाल दिया जाय तो वे चालू हो सकते है। पानी का स्तर नीचे चला गया है परन्तु निजी लाभ के कारण ऐसा न करके नये हैण्डपम्प अधिष्ठापन पर जोर दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप अधिशाषी अभियंता श्री हरीशचन्द्र वाल्मीकि द्वारा अनियमितता बरती जा रही है, चाहें चोक सीवर की सफाई में हो या हैण्डपम्प मरम्मत कराने में। बिना राजस्व के विकास की गंगा नही बहेगी, इसलिये सुझाव देना चाहता हूॅ कि सीवेज फार्म की जमीन में राजस्व निरीक्षक एवं पट्टे धारक की सांठ–गांठ को तोड़ा जाय, जिससे नगर निगम को यथोचित राजस्व प्राप्त हो सकें। नगर निगम द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार एक हैण्डपम्प लगवाने के लिये धन्यवाद् परन्तु तीन दिन चलकर वह भी बन्द हो गया, इस पर भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। कर निर्धारण में राजस्व निरीक्षक द्वारा अनियमिततायें की जा रही है। कर निर्धारण के

सम्बन्ध में क्षेत्रीय पार्षद एवं राजस्व निरीक्षक की टीम गठित की जाय, जिससे भवनों पर लग रही होर्डिंग व मोबाइल टावर इत्यादि पर व्यवसायिक टैक्स लगाया जा सके। एक ही स्थान पर कई वर्षो से कार्यरत कर्मियों का स्थानान्तरण किया जाय। विकास कार्य तेजी से प्रारम्भ कराये जाय।

श्रीमती जरीना खातून ने कहा कि मेरी शिकायत पर किसी भी विभाग द्वारा सुनवाई नही की जा रही है। वार्ड में खूब गन्दगी फैली है, सफाई हेतु 10 सफाई कर्मियों की तैनाती की जाय।

अध्यक्ष ने कहा कि निकाय को नियुक्ति करने का कोई अधिकार नही है। व्यवस्था की दृष्टि से संविदा सफाई कर्मियों को आवश्यकतानुसार तैनात किया जाता है। बेहतर होगा कि आपस में सामंजस्य बैठा कर कार्य करायें।

श्रीमती पूनम द्विवेदी ने कहा कि जोनल में पार्षदों के साथ होने वाली बैठक में कोई अधिकारी नही पहुॅचा, क्या पार्षद अपनी समस्याओं को नही उठा सकते है ? सड़क पानी व सीवर की मुख्य समस्या मेरे वार्ड में है । मॉग करती हूॅ कि किन्हीं कारणों से सड़क का निर्माण नही हो सकता है तो उसी धनराशि से पानी की व्यवस्था कर दी जाय। यदि नये हैण्डपम्प अधिष्ठापित नही किये जा सकते तो हैण्डपम्प रिबोर करा दिये जाय। नगर आयुक्त महोदय एल0आई0सी0 पार्क की मरम्मत हेतु आपको पत्र दिया था उस पर कोई कार्यवाही नही कराई गई, जबकि स्वास्थ्य लाभ एवं पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुये सुबह टहलने वाले इस पार्क में काफी संख्या में आते है। अतएव पार्क की मरम्मत कराई जाय। जी0टी0 रोड से बाईपास के बीच लगने वाली सब्जी मण्डी को नगर निगम की जमीन पर स्थानान्तरित किया जाय। आवारा जानवरों को पकड़वाया जाय।

श्रीमती नीलम चौरसिया ने कहा कि टैक्स की वृद्धि पर ही क्यों अड़े हुये है, जबकि संसाधन बढ़ाने के अन्य भी तरीके है, जो भवन कर की परिधि में नही है, उन्हें कर की परिधि में लाया जाय। नर्सिंग होम, गेस्ट हाउस पर व्यवसायिक कर लगाया जाय। अवैध होर्डिंग्स को हटा कर नियमित करते हुये विज्ञापन कर वसूला जाय इत्यादि। मेनहोल खुले है उनमें ढक्कन लगवाया जाय। अतिक्रमण चाहे पार्क का हो या सड़क का हटवाया जाय और पुनः अतिक्रमण न हो इस पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। रैन बसेरा में भी कब्जा हो गया है उस पर कोचिंग चलाई जा रही है, परिवार के साथ निवास भी किया जा रहा है, क्योंकि नगर निगम द्वारा इसकी देख–रेख के लिये कोई कर्मचारी नही नियुक्त किया गया है।

श्रीमती रीता शास्त्री ने कहा कि नगर निगम अधिनियम में टैक्स की वृद्धि हेतु नगर आयुक्त को अधिकृत किया गया है, तो 06 वर्ष के बाद टैक्स एक साथ क्यों बढ़ाया जा रहा है ? जबकि यूजर चार्ज वसूल कर कोचिंग मण्डियों से व्यवसायिक टैक्स लेकर अन्य संसाधनों से राजस्व की

प्राप्ति की जा सकती है। साइट नं0–1 से स्टेडियम जाने वाली सड़क में जल निगम द्वारा रोड कटिंग करते समय सीवर लाइन तोड़ दी गई है इसलिये जब तक पहली रोड न बना दी जाये तब तक आगे की सड़क पर रोड कटिंग न की जाय। आश्वस्त किया गया था कि पम्पिंग स्टेशन वाला पार्क जो क्षतिग्रस्त हो गया है, उसे विकसित किया जायेगा परन्तु कार्यवाही नही कराई गई। क्षेत्र के भवन स्वामियों द्वारा सामान्य कर की अदायगी समय से की जा रही है, अतएव सड़कें शीघ्र बनाई जाय। क्षेत्र के सुअर बाड़ा को हटवाया जाय। मेरे वार्ड में कार्यरत महिला सफाई कर्मी का स्थानान्तरण किया जाय।

श्रीमती चित्ररेखा पाण्डेय ने कहा कि सफाई न होने के कारण जनता त्रस्त है, उसका कारण है सफाईनायक की मनमानी। केवल चार दिन सफाई करने पर सफाई कर्मियों की महीने भर की उपस्थिति भरी जाती है। बन्द पड़े मार्गप्रकाश बिन्दुओं को चालू कराया जाय। क्षेत्रीय जनता द्वारा आपस में चंदा कर खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत कराई जा रही है, प्राथमिकता पर हैण्डपम्पों की मरम्मत कराई जाय।

श्री नवीन पण्डित ने कहा कि बजट सत्र में बजट को मंजूरी दी गई। कुछ बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाय। जल निगम द्वारा रोड कटिंग तो कराई जा रही है लेकिन जब पाइप लाइन नही डाली जा सकी तो इस ग्रीष्म ऋतु में जलापूर्ति कैसे करेंगे। अतः 05–05 हैण्डपम्प रिबोर कराये जाय। गुजैनी वाटर वर्क्स प्लान्ट के बन्द हो जाने से जनता पानी के लिये परेशान है। एक ही स्थान पर कई वर्षो से कार्यरत कर्मियों का स्थानान्तरण किया जाय।

श्री महेन्द्र नाथ शुक्ल ने कहा कि सामान्य कर में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने की बात कही जा रही है। वृद्धि के स्थान पर स्थलों का चिन्हांकन कर दुकानों का निर्माण किया जाय, जिससे नगर निगम को राजस्व की प्राप्ति हो सके। निर्मित दुकानों के प्रति यह भी स्पष्ट किया जाय कि छतों पर नगर निगम का ही स्वामित्व रहेगा। पूर्व में नगर निगम द्वारा निर्मित दुकानों यथा विजय नगर गन्दा नाला, रैना मार्केट, किदवई नगर मार्केट की छतों एवं कुछ जगहों के भूमिगत खण्डों में अनधिकृत रूप से कब्जा किया गया है, इस पर कार्यवाही कराई जाय। मेरे वार्ड में 4000 वर्ग गज जमीन सीसामऊ में पड़ी है, चबूतरा नही है, वहॉ पर लगभग 300 ठेले लगते है, जिनसें लगभग रू0 एक लाख पगड़ी व रू0 500 प्रतिमाह किराया लिया जाता है। यदि वर्णित स्थल पर मल्टी स्टोरी बनवाकर दुकानें आवंटित की जाय तो नगर निगम को राजस्व की प्राप्ति होगी। सीवर की समस्या है परन्तु जलकल विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं की जा रही है। मैनहोल सफाई हेतु बरसात से पूर्व 05 सफाई कर्मी दिये जाय। सड़क निर्माण के समय सर्वप्रथम फुटपाथ, नाली, साइड पटरी तब सड़क बनाई जाय, परन्तु ऐसा न होने से फुटपाथ तक लोग अतिक्रमण कर लेते है। मकानों के आगे बने रैम्प तोड़े जाय। सुअरों को पकड़वाया जाय, परन्तु कैटिल कैचिंग दस्तें में ही मुखबर होने के कारण अभियान सफल नही हो पाता है।

ह0.....महापौर

पॉच–पॉच नये हैण्डपम्प व पॉच–पॉच हैण्डपम्प रिबोर करवाये जाय। जलकल विभाग स्टाफ एवं संसाधन की कमी को अवगत कराता है तो नगर निगम द्वारा हैण्डपम्प लगवाये जाय। रोडकटिंग के बाद जल निगम के कार्यो की जॉच कराई जाय। 20 वर्षो से एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मियों का स्थानान्तरण किया जाय। 1000 सी0एफ0एल0 फिटिंग की खरीददारी की गई, जो लगने के बाद बन्द पड़े है, चालू कराते हुये इसकी जॉच कराई जाय। कार्यकारिणी समिति द्वारा पूर्व पारित प्रस्ताव का स्वागत करते हुये कहना चाहता हूॅ कि मेरे वार्ड में भी पार्क में मन्दिर है जिसमें लगभग 40किलों चॉदी लगी है, उसकी देख–रेख की व्यवस्था भी नगर निगम द्वारा शीघ्र कराई जाय। धर्मशाला का अवशेष कार्य कराया जाय।

श्री अब्दुल कलाम ने कहा कि क्षेत्र में जल निगम द्वारा वाटर लाइन डालने हेतु सड़क तो खोद दी गई परन्तु पाइप लाइन नही डाली गई, जो आज तक खुदी पड़ी है, उसे तत्काल पूर्ण करा दिया जाय, ताकि क्षेत्र के रूके विकास कार्य प्रारम्भ हो सके। गरीब भवन स्वामियों के स्थान पर व्यवसायिक संस्थानों पर टैक्स की वृद्धि की जाय। नगर निगम की रिक्त जमीन पर दुकानें बनाकर राजस्व बढ़ाया जाय। माननीय महापौर जी आपके नेतृत्व में विकास कार्यो की श्रंखला इसी प्रकार चलती रहे, धन्यवाद्।

श्री आदर्श दीक्षित ने कहा कि मेरे वार्ड में नाली का निर्माण अतिक्रमण के कारण रोक दिया गया है, अतिक्रमण हटवाया जाय। हैण्डपम्प मरम्मत हेतु जलकल विभाग की गठित टीम की सूचना झूठी है। हैण्डपम्प मरम्मत हेतु टीम के पास सामान नही है। रू0 500 की निर्धारित धनराशि के विषय में स्पष्ट किया जाय कि यह धनराशि मजदूरी के लिये है या हैण्डपम्प की सामग्री के लिये। सीवर की सफाई के लिये एक वर्ष हो गया आवाज उठाता आ रहा हूॅ, परन्तु सीवर सफाई नही हुई। क्षेत्रीय जनता स्वयं चंदा देकर सीवर लाइन डलवा रही है। विभागीय सहयोग तक नही किया जा रहा है। 09 अगस्त से इधर–उधर भटक रहा हूॅ। सीवर सफाई की नीति तैयार की जाय। जल निगम के कार्यो की जॉच कराई जाय, क्योंकि इनके द्वारा टूटे पाइप डाले जा रहे है। प्रति वार्ड 10 हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर कराये जाय।

श्री मनीष शर्मा ने कहा कि अपने वार्ड के परिसीमन की दृष्टि से समस्याओं को क्रमशः बताना चाहता हूॅ। गुजैनी एफ–ब्लाक 25 वर्षो से पानी व सीवर की लाइन न होने से नागरिकों को परेशानी हो रही है, बर्रा–7 जलापूर्ति नही है और न ही सीवर लाइन, रविदासपुरम् में दूषित जलापूर्ति हो रही है, अम्बेडकर नगर गुजैनी में एक वर्ष से जलापूर्ति नही है, मा0 उच्च न्यायालय के आदेश ''15 दिनों के अन्दर पाइप लाइन डाली जाय'' का अनुपालन नही किया गया है, रू0 9.50 लाख से 30मी0 लाइन नही डाली गई है। एक हजार प्लाट है, जलकल तथा जल निगम आज तक पानी नही दे पाया है। तात्याटोपे नगर, नगर निगम को हस्तानान्तरित नही है, परन्तु टैक्स लिया जा रहा है,। हस्तानान्तरण की कार्यवाही चल रही है। के0डी0ए0, नगर निगम व जलकल विभाग की संयुक्त टीम द्वारा निरीक्षण किया गया है, इस पर कहना है कि क्षेत्र के पार्षद को टीम में न रखें परन्तु संज्ञान में तो लाया जाय। माननीय महापौर जी आपके नेतृत्व एवं प्रयास से वर्तमान में थोड़ा विकास हो पाया है। जोनल बैठकों में जवाबदेही तय की जाय। बर्रा–6 में न्यू एल0आई0जी0 में फीता नाप कर अतिक्रमण तोड़ा जाता है, तो क्षेत्र के नाले का अतिक्रमण भी हटवाया जाय।

ह0.....महापौर

श्री अतुल त्रिपाठी ने सदन की बैठक में प्रतिभाग कर रहे नेता सदन, सदस्य भाई–बहन, अधिकारी एवं पत्रकार–छायाकार बन्धुओं के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुये कहा कि नगर आयुक्त महोदय आपका ध्यान पहले सदन में दिये गये वक्तव्य ''निर्वाचित 110 पार्षद हमारी ऑख एवं कान है'' की ओर आकर्षित करना चाहता हूॅ। आपके नेतृत्व में सराहनीय विकास हुआ है, परन्तु नीचे के अधिकारी कोई सुनवाई नही करते है। जोनल बैठकें मात्र दिखावा है, क्योंकि लिये गये निर्णयों का अनुपालन नही हो रहा है। पार्षदगण संत है, जनता और अधिकारियों के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करते है। क्षेत्र की समस्याओं को सम्बन्धित अधिकारी तक पहुॅचा कर समाधान कराते है। बिना पारिश्रमिक के निःस्वार्थ भाव से जनता का दुख दर्द सुनकर उनकी पीड़ा का निदान कराते है। जलकल विभाग का एक कर्मचारी ढाई–तीन माह से अनुपस्थित चल रहा है, परन्तु वेतन दिया जा रहा है, इसका परीक्षण कराया जाय। अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण हेतु निर्देशित किया जाय, साथ ही क्षेत्रीय पार्षद को अवगत भी कराया जाय। मार्गप्रकाश विभाग व अन्य विभागों में एक ही जगह पर वर्षो से कार्यरत कर्मी शिकायतों की अनदेखी व अनसुनी करते है, ऐसे कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया जाय। जोनवार हैण्डपम्प मरम्मत हेतु गठित गैंग नकारा है, हैण्डपम्प मरम्मत नही हो रहे है। गैंग में इतने बड़े विशेषज्ञ है कि बिना हैण्डपम्प खोलकर देखे रिबोर कराने को बता दिया जाता है। आवारा सुअरों का आतंक क्षेत्र में व्याप्त है। क्षेत्रीय पार्षद को बतायें, आमंत्रण है कि सुअर पकड़वाने का अभियान सफल होगा। ईंद व दंगे के समय सुअर बाड़ों के अन्दर कैसे चले जाते है, प्रशासन इसका भी संज्ञान लें। हमारे ईमानदार माननीय महापौर है, हम सभी का सौभाग्य है, जो ऐसा नेतृत्व मिला, परन्तु नीचे की टीम में सामंजस्य नही है।

श्री संजय यादव ने कहा कि महाबलीपुरम् में सफाई कर्मी नहीं है। वर्ष 1980 की पड़ी सीवर लाइन ध्वस्त हो चुकी है, कार्यवाही कराई जाय।

श्री आदित्य शुक्ल ने कहा कि माननीय महापौर जी आपके नेतृत्व में विकास की धारा बही है, मार्ग प्रकाश की सामग्री क्रय करने में अनियमिततायें की जा रही है। 166 सी0एफ0एल0 वार्ड को मिली है, इनकी कीमत की जॉच कराई जाय, साथ ही सामग्री वितरण रजिस्टर की भी जॉच कराई जाय, कि किस वार्ड को कितनी सामग्री निर्गत की गई। एटूजेड ने कार्य करना बन्द कर दिया है, परन्तु नगर निगम से भुगतान ले रहा है, इसकी भी जॉच कराई जाय।

ह0.....महापौर

श्री आलोक शुक्ल ने कहा कि सामान्य कर में नगर निगम कर्मचारियों द्वारा अनियमिततायें की जा रही है। बढ़े हुये सामान्य कर की नोटिस पहले भेजी जाती है और बाद में उसे कम किया जाता है। हर्ष नगर पेट्रोल पम्प, विजय नगर से जरीब चौकी तक अतिक्रमण है, इसे यूजर चार्ज लेकर क्यों नही हटाया जाता है। क्षेत्र की निरीह जनता पेरशानी उठा रही है। एटूजेड फेल हो गया है, तो क्या नगर निगम से सफाई नही कराई जा सकती है। पार्षदों को स्वीकृत भत्ता के सम्बन्ध में सचिव नगर निगम द्वारा पत्र भेजा गया है कि आप सही ढंग से दायित्वों का निर्वहन नही कर रहे है, इसलिये विचार नही किया जा सकता है, यह क्या है, समझ से परे है। क्या पार्षदों को अपमानित किया जायेगा ? जबकि छावनी परिषद में पार्षदों को रू0 5,200/– दिया जाता है। सड़क निर्माण के प्रति श्री महेन्द्र शुक्ल के सुझाव का समर्थन करता हूॅ, परन्तु नाली निर्माण में कहना चाहता हूॅ कि नाली को भवन से थोड़ा हटा कर बनाया जाय, जिससे मकान में सीलन न जा सके। सेनेटरी इंस्पेक्टर द्वारा सफाई कार्य नहीं कराया जा रहा है। जब तक गंगा बैराज से जलापूर्ति नहीं हो पा रही है, तब तक पॉच–पॉच हैण्डपम्प लगवाये जाय।

श्री सुहैल अहमद ने कहा कि 3500 हैण्डपम्प खराब है। जलकल टीम इन्हें नही ठीक कर पा रही है, तो प्राइवेट गैंग लगाकर इन्हें ठीक करवाया जाय। जब माननीय विधायक द्वारा हैण्डपम्प लगवायें जा रहे है, तो नगर निगम द्वारा भी पॉच–पॉच हैण्डपम्प लगवाये जाय। एटूजेड द्वारा कूड़ा उठान नहीं किया जा रहा है, इसके विषय में कहना है कि यदि पूर्व सरकार द्वारा कोई गलत समझौता/अनुबन्ध किया गया हो, तो उसमें बदलाव हेतु वर्तमान सरकार को पत्र भेजा जाय। अतिक्रमण हटवाया जाय, हम सभी पार्षद सहयोग करेंगे।

श्रीमती पूनम राजपूत ने कहा कि विगत निर्वाचित सदन के कार्यकाल में प्राइवेट सोसाइटी क्षेत्र में नगर निगम द्वारा खड़न्जे का कार्य करवाया गया है, उसी प्रकार वर्तमान में भी प्राइवेट सोसाइटी क्षेत्रों में खड़न्जा लगवाने तथा नाला निर्माण करा कर सी0ओ0डी0 नाला के माध्यम से जल निकासी की व्यवस्था की जाय। श्याम नगर पार्क में तीन वर्ष से अतिक्रमण है, उसे हटवाया जाय।

श्री महेन्द्र पाण्डेय ने कहा कि सभी जोनों में शव वाहन की व्यवस्था की जाय, जिससे अंतिम संस्कार के समय नागरिकों को शव ले जाने में असुविधा न हो।

श्री कैलाश पाण्डेय ने कहा कि अभियन्त्रण कार्यो में पार्षदों को कार्यादेश एवं आगणन की प्रति भेजी जाय। सिद्धनाथ घाट की सफाई कराई जाय। पॉच–पॉच अतिरिक्त सफाई कर्मी दिये जाय। नयी चुंगी जाजमऊ से सिद्धनाथ घाट जाने वाली सड़क शीघ्र बनवाई जाय। जल निगम द्वारा

सीवर/पाइप लाइन डालते समय पार्षद को अवगत कराया जाय। क्षेत्र में सीवर पाइप मिल जाने के कारण दूषित जलापूर्ति हो रही है, इस समस्या का तत्काल समाधान कराया जाय। रामादेवी में एन0एच0ए0आई0 द्वारा सड़क निर्माण के दौरान सीवर लाइन तोड़ दी गई है, जिसे ठीक कराने हेतु जिम्मेदारी एक–दूसरे पर डाली जा रही है, शीघ्र कार्यवाही कराई जाय। मार्गप्रकाश विभाग के लाइनमैन द्वारा क्षेत्रीय पार्षद को अपने जॉबकार्ड से अवगत कराया जाय।

श्री अभिषेक गुप्त ने कहा कि सदन चल रहा है, परन्तु सम्बन्धित अधिकारी मौजूद नहीं है, यह सदन की अवमानना है। जी0आई0एस0 सर्वे की त्रुटियों के कारण आपत्तियॉ आज भी अनिस्तारित है जबकि दूसरा प्रस्ताव जी0आई0एस0 सर्वे कराने का नगर निगम द्वारा लाया जा रहा है। इन त्रुटियों का कौन जिम्मेदार होगा, इसे भी तय कर लिया जाय। शहर में विज्ञापन पटों की बाढ़ आ गई है, जिन विज्ञापन एजेन्सियों का नगर निगम में पंजीयन नही है उनके विज्ञापन पट दिख रहे है। 40 से अधिक अवैध विज्ञापन पट केवल मेरे वार्ड में लगे है, इन पर कार्यवाही की जाय। वाहनों की पार्किंग की स्थाई व्यवस्था की जाय, जिससे सड़कों पर वाहन न खड़ें हो। नगर निगम, के0डी0ए0 व नजूल विभाग संयुक्त रूप से पार्किंग की समस्या का समाधान निकाले। भूमिगत एवं मल्टीलेवल पार्किंग पर शीघ्र कार्यवाही अमल में लाई जाय। नगर आयुक्त का वक्तव्य समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि एटूजेड ने कूड़ा उठाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है, परन्तु जमीन में ऐसा नही दिख रहा है। कार्यकारिणी समिति/सदन की बैठकों के निर्णयों को अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

श्री ओमप्रकाश वाल्मीकि ने कहा कि सभी की मंशा है कि राजस्व वृद्धि हेतु संसाधन बढ़ाये जाय। सीवर सफाई कर्मी तथा सफाई कर्मियों की कमी है, इनकी भी वृद्धि की जाय। इनकी नियुक्ति हेतु शासन को पत्र भेजा जाय, जिससे लगभग 60–70 लाख की आबादी वाले शहर की समुचित सफाई व्यवस्था हो सके। सड़कों का निर्माण हो रहा है, इसके लिये धन्यवाद् देना चाहता हूँ। पानी की समस्या के प्रति भी ध्यान दिया जाय। जलकल विभाग अपनी वसूली से सीवर/पानी की समस्या का समाधान कराता है। पूरे शहर में लगभग 80–90 हजार अवैध कनेक्शन है यदि इनकों नियमित कर लिया जाय तो जलकल विभाग की माली हालत भी ठीक हो जायेगी। हैण्डपम्प लगवाने के विकल्प में आवश्यकतानुसार जगह–जगह स्टैण्ड पोस्ट बनवाये जाय। सामान्य कर में वृद्धि के स्थान पर छूटे हुये लगभग डेढ़ लाख भवनों पर टैक्स लगाया जाय।

श्री अमित मेहरोत्रा ने कहा कि सीवर समस्या का समाधान, दो–दो हैण्डपम्प तथा वार्ड कार्यालय की मरम्मत पर ध्यान दिया जाय। कर्नेलगंज वाला मार्ग ठीक कराया जाय। नानाराव पार्क में तरणताल है, वहॉ पर जिम की भी व्यवस्था की जाय।

ह0.....महापौर

श्री वीरेन्द्र शर्मा ने कहा कि नवरात्रि के समय तपेश्वरी देवी मन्दिर में मेले का आयोजन प्रति वर्ष होता है। जल निगम द्वारा रोड कटिंग कर सड़क उसी स्थिति में छोड़ दी गई है, जिसे चलने लायक बनाने के लिये नगर आयुक्त महोदय को पत्र भी लिखा था, परन्तु कार्यवाही आज तक नही हुई। कई नागरिक प्रायः गिर कर चोंट खा चुके है। अतएव खोदी गई सड़कें तत्काल बनवाई जाय, अतिक्रमण हटवाया जाय। जलकल विभाग ने कुछ भी कार्य नही किया है। सफाई निरीक्षक द्वारा मलवे या कूड़े के चालान करने से पूर्व सम्बन्धित व्यक्ति को आगाह करना चाहिये, तदोपरान्त उसके द्वारा न सुनने पर चालान किया जाय। स्वीकृत कार्यो को शीघ्र प्रारम्भ कराया जाय।

श्री हरीशचन्द्र वर्मा ने कहा कि मलिन बस्तियों में सीवर समस्या है, उसका समाधान कराया जाय।

नामित पार्षद श्री मुंशिफ अली रिजवी ने कहा कि एटूजेड के आने से स्वास्थ्य विभाग की जो गफलत आ गई थी, वह अभी दूर नही हुई है। ग्वालटोली मकबरा क्षेत्र में गन्दगी है, दूर की जाय। क्षेत्र में फागिंग कराई जाय, अन्यथा जनता को डेंगू व मलेरिया का सामना करना पड़ेगा।

श्री अशोक चन्द्र तिवारी ने कहा कि नागपुर में श्री चन्द्रशेखर, आई.एस.एस., नगर आयुक्त की कार्य प्रणाली इतनी अच्छी थी कि उनके स्थानान्तरण होने पर जनता सड़कों पर खड़ी हो गई थी, उसी प्रकार आप भी न्याय प्रिय–कर्तव्य निष्ठ नगर आयुक्त है। शहर के प्रति आपकी भूमिका के लिये मेरी मंशा है–''चार बॉस चौबीस गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है अब न चूक चौहान'', कृपया इसे चरितार्थ करें।

इसी के साथ श्री लक्ष्मी शंकर राजपूत, श्रीमती विजय लक्ष्मी, श्रीमती सोनी पाल, श्री सुमित कुमार सरोज, मो0 इरफान, श्री बीरबल सिंह, श्री निर्देश सिंह चौहान, श्री कैलाश नाथ पाण्डेय, श्री विप्लव भट्टाचार्य, श्री सन्दीप जायसवाल ने अपने–अपने क्षेत्र की समस्याओं के सम्बन्ध में चर्चा की।

अध्यक्ष ने नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि सभी सदस्यों के विचारों/समस्याओं व सुझावों पर अपना संक्षिप्त वक्तव्य प्रस्तुत करें।

नगर आयुक्त ने कहा कि मैंने सभी पार्षदों के प्रश्न नोट किये है, उन पर कार्यवाही भी कराई जायेगी। श्री सत्येन्द्र मिश्र बहुत अच्छी तैयारी करके आये है, बिन्दुवार विचार व्यक्त किये हैं। उनके कथन पर अवगत कराना है कि जी0आई0एस0 सर्वे द्वारा प्रापर्टी में किसका स्वामित्व है, इसका वास्तविक पता नही चल पाता है। जी0आई0एस0 सर्वे के बाद नगर निगम की टीम द्वारा घर–घर जाकर सर्वे कराया गया है, तदानुसार आपत्तियों का निस्तारण भी कराया जा रहा है। अधिकारियों/कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा से कार्य सम्पन्न होते है, व्यवस्था दोषी नहीं होती। किन्हीं कारणों से

यदि कोई कहीं त्रुटि रह गई है तो उसके सुधार के अवसर भी प्रदान किये गये है। इन सबके बावजूद जो कमियॉ है उन्हें ठीक करेंगे। अपर नगर आयुक्त श्री उदय नारायण तिवारी को निर्देशित कर दिया गया है कि पार्को पर लगा टैक्स समाप्त कर दिया जाय। कर्मचारियों को प्रेरित व प्रोत्साहित करते हुये कार्य प्रणाली में गतिशीलता लाई जायेगी। दोषियों को दण्डित भी किया जायेगा। सामान्य कर ही निकाय की आय का मुख्य श्रोत है, इसकी अदायगी में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। पुनः आश्वस्त करता हूॅ कि जिस वार्ड से जितना कर जमा होगा, उसी अनुपात में विकास कार्य कराये जायेंगे। सीवेज फार्म की जमीन का सीवर के अलावा दूसरा उपयोग नही किया जा सकता है। लेखपाल व कर्मचारी मिलकर पट्टेदार के प्रति कोई अनियमितता करता है तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी। जी0आई0एस0 की रिपोर्ट का संज्ञान लेकर किराया, यूजर चार्ज व सामान्य कर की दरें पुनरीक्षित की गई है। मेरे मष्तिष्क में आय के प्रति वसूली एवं विकास के प्रति योजनाएं दोनो ध्यान में है। आपकी वेदना का भी एहसास है। राज्य वित्त आयोग की धनराशि से कर्मचारियों का वेतन दिया जाता है। शासन द्वारा भी संसाधनों को स्वयं बढ़ाये जाने हेतु समय–समय पर निर्देशित किया जाता है। सदस्यों द्वारा पॉच–पॉच हैण्डपम्प अधिष्ठापन की मॉग की गई है, जिस पर माननीय विधायक श्री सलिल विश्नोई ने अपने कोटे से देने को आश्वस्त किया है। महाप्रबन्धक, जलकल ने अवगत कराया है कि जलकल विभाग में समुचित धनराशि नही उपलब्ध है, इस पर नगर निगम द्वारा पार्षद की अनुसंशा पर हैण्डपम्पों की मरम्मत व भुगतान किया जायेगा। अगली पीढ़ी को सुन्दर बनाने के लिये वैज्ञानिकों द्वारा दिये गये सुझाव को अमल में लाया जाय। भूगर्भ दोहन कम किया जाय ताकि जल प्रदूषण न हो। जलापूर्ति के लिये जल निगम द्वारा ओवरहैड टैंक बनाये जा रहे है। गंगा बैराज से कैनाल के माध्यम से बेनाझाबर स्थित जलकल विभाग में कच्चा पानी प्राप्त किया जाता है, जिसे शोधित करते हुये शहर को जलापूर्ति की जाती है। जल निगम द्वारा खोदी गई सड़कें बनाई जायेंगी। मण्डालयुक्त महोदय के आवास के पास इसलिये सड़क नही बनाई गई क्योंकि पाइप लाइन पड़नी है। जनता की मॉग एवं उनकी कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुये जल निगम को सख्त निर्देश प्रदान किये है कि सड़कें छोटे–छोटे भाग में काट कर सीवर/पानी की लाइन डालते हुये उन्हें चलने लायक बना दिया जाय, तब आगे की सड़क काटी जाय। बाल भवन के पास की सड़क बना दी गई है। नगर निगम हो या अन्य विभाग कुछ लोग सेवा को धर्म मानकर कार्य करते है, कुछ व्यवसाय मानकर। सेवा को धर्म मानने वाले कर्मियों को मा0 महापौर द्वारा सम्मानित किया जायेगा। कार्य स्वीकृत होते ही आंगणन की प्रति के साथ क्षेत्रीय पार्षद को सूचित किया जायेगा। हैण्डपम्प पहले लगवाऊॅगा, तब तक विकास कार्य रोक देंगे। व्यवस्था निर्धारित की है कि जो कार्य स्वीकृत हो उसके विषय में स्थल पर अवर अभियन्ता व ठेकेदार के नाम व मोबाइल नम्बर सहित कार्य प्रारम्भ व समापन की तिथि का बोर्ड लगवाया जाय, जिसमें पार्षद के साथ–साथ क्षेत्रीय जनता भी कार्य को समझ सकेगी। जिन कार्यो में दो–तीन बार निविदा आमंत्रित करने पर निविदा नही प्राप्त हो रही है, कार्यहित में उन कार्यो

को नोटिस बोर्ड के माध्यम से कराया जायेगा। नाली, फुटपाथ व पटरी बनाने के पश्चात् ही सड़क निर्माण का सुझाव माना जायेगा। अतिक्रमण हटवाने में पार्षद का सहयोग लिया जायेगा। शासनादेश में विहित है कि अतिक्रमण हटाने के बाद पुनः अतिक्रमण होने पर सम्बन्धित पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा तथापि पुलिस प्रशासन से अनुरोध कर समय–समय पर अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्येक वार्ड में पॉच–पॉच हैण्डपम्प रिबोर कराये जायेंगे और यथा आवश्यक पॉच–पॉच सफाई कर्मी आउटसोर्सिंग के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे। सी0एफ0एल0 जल्दी खराब क्यों हुई, ऐसी स्थिति क्यों आई, इसकी जवाबदेही व जिम्मेदारी तय की जायेगी। एटूजेड से शहर की सफाई के लिये नगर निगम द्वारा पी0पी0पी0 (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के तहत 30 वर्षो के लिये 16 अक्टूबर, 2010 को अनुबन्ध किया गया था। अनुबन्ध की शर्त के अनुसार यदि नगर निगम समझौता तोड़ेगा या किसी अन्य से कार्य लेगा तो स्वयं नगर निगम दोषी होगा। एटूजेड ने 28 फरवरी, 2013 को कूड़ा उठान बन्द कर दिया, तब से नगर निगम अपने सीमित संसाधन से कूड़ा उठान का कार्य कर रहा है। प्रश्न उठाया गया है कि जब एटूजेड कार्य नही कर रहा है तो यूजर चार्ज क्यों ले रहा है ? अवगत कराना है कि हुये अनुबन्ध के अनुसार घर–घर से कूड़ा उठान पर एटूजेड को यूजर चार्ज वसूलने की व्यवस्था दी गई है, परन्तु भवन स्वामियों द्वारा यूजर चार्ज न देने के कारण धीरे–धीरे वसूली कम होती गई परिणाम स्वरूप एटूजेड की वर्तमान में यह स्थिति बनी। एटूजेड द्वारा पुनः कूड़ा उठान प्रारम्भ कर दिया गया है। प्रयास किया जा रहा है कि पुनः कूड़ा उठान नियमित हो। एटूजेड के पास भूमि व प्लान्ट है, कूड़े से कम्पोस्ट खाद बनाते है, इससे नगर निगम का कोई मतलब नही है। नगर निगम 13वें वित्त आयोग में प्राविधानित नियमों के तहत जल–मल व सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट हेतु कूड़ा गाड़ियों/वाहनों की खरीद करते हुये टूटी गाड़ियों की मरम्मत कराई गई है। वर्तमान में 5000 कूड़ा गाड़ियॉ है तथा 3828 सफाई कर्मी । सफाई कर्मियों को वर्दी भत्ता दिया जाता है, कि वर्दी पहन कर कार्य करें। यदि सफाई कर्मी वर्दी पहनकर कार्य नही करता और कार्य में अनुपस्थित रहता है परन्तु उपस्थिति दर्ज की जाती है, तो सफाई कर्मी एवं सफाई नायक को दण्डित किया जायेगा। रू0 300 के पार्षद यात्रा भत्ता हेतु आर0टी0जी0एस0 का नम्बर प्राप्त करने के लिये पत्र प्रेषित किया गया था, इसके अलावा पत्र में और कुछ नही है। कैटिल–कैचिंग में पशु क्रूरता अधिनियम को दृष्टिगत रखते हुये अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि पूर्व में कुत्तों को पकड़ने पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा था। इन सबके बावजूद अनियमितताओं को संज्ञान में लेकर कार्यवाही की जायेगी। मा0 मुख्य मंत्री के दिशा निर्देश पर आधुनिक वधशाला हेतु जाजमऊ में जगह उपलब्ध कराई जायेगी। गोपाल टाकीज के पास की दुकानों का निरीक्षण कर कार्यवाही कराई जायेगी। कई वर्षो से एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मियों के स्थानान्तरण की सूची प्राप्त हो गई है, तदानुसार शीघ्र कार्यवाही की जायेगी। जिन भवनों का कर निर्धारण व दाखिल–खारिज वर्ष 2008 से नही हो पाया है, उस पर एक सप्ताह के अन्दर निर्णय ले लेंगे। वर्तमान में नगर निगम में कोई उप नगर आयुक्त नही

ह0.....महापौर

है, जिससे नगर निगम कार्य प्रणाली में गतिशीलता कम है। सोसाइटी क्षेत्र के अन्तर्गत गॉव समाज, ऊसर, बञ्जर भी है, जिसके विकास के लिये के0डी0ए0 बोर्ड की बैठक में मैंने यह बात उठाई थी। आवास–विकास के क्षेत्र का निरीक्षण करवाया जा रहा है, हस्तानान्तरण कार्यवाही प्रगति पर है। शासन द्वारा निर्गत शासनादेश में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि क्षेत्र की अवस्थापना सुविधा के साथ हस्तानान्तरण सुनिश्चित किया जाय। अतएव तब तक स्थानान्तरण नही किया जायेगा जब तक क्षेत्र में अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध नही करा दी जायेंगी, परन्तु सफाई हमारा मूलभूत दायित्व है, अधिकारियों, कर्मचारियों को सक्रिय करते हुये पार्षदों के सहयोग के साथ दायित्वों का निर्वहन करेंगे। आज की आहूत बैठक में सफाई, पानी, जी0आई0 सर्वे के आधार पर किये गये कर निर्धारण की आपत्तियों ही मुख्य रूप से आप सभी की मुख्य समस्यायें है। तद्नुक्रम में पुनः स्पष्ट करना चाहता हूॅ कि प्रत्येक वार्ड मे आवश्यकतानुसार पॉच–पॉच सफाई कर्मी लगाये जायेंगे एवं पॉच–पॉच हैण्डपम्प रिबोर कराये जायेंगे साथ ही जी0आई0एस0 सर्वे के आधार पर किये गये कर निर्धारण की आपत्तियों का निस्तारण कराया जायेगा तथा पार्को पर लगाया गया कर समाप्त किया जायेगा। विशेष रूप से अवगत कराना चाहता हूॅ कि आप सभी की मॉग पर सामान्य कर की प्रस्तावित 15 प्रतिशत की वृद्धि को 10 प्रतिशत किया जाता है।

अध्यक्ष ने आज की आहूत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि हेतु सभी सदस्यों से अपना–अपना अभिमत व्यक्त करने के लिये कहा । जिस पर सभी सदस्यों द्वारा आज दिनांक–27.04.2013 को सम्पन्न हुई सदन की बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई।

अन्त में अध्यक्ष ने आज की शान्तिपूर्ण एवं अनुशासित ढंग से सम्पन्न हुई बैठक के लिये सदस्यों को धन्यवाद् दिया।

तदोपरान्त राष्ट्रगान के बाद बैठक का समापन हुआ।

ह0.....

(जगत वीर सिंह द्रोण)

अध्यक्ष / महापौर

ह0.....महापौर